

13.23 hrs.

# BANKING LAWS (APPLICATION TO CO-OPERATIVE SOCIETIES) BILL

**Mr. Speaker:** Shri T. T. Krishnamachari.

**The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat):** Sir, on behalf of Shri T. T. Krishnamachari, I rise to move:—

“That the Bill further to amend the Reserve Bank of India Act, 1934 and the Banking Companies Act, 1949 for the purpose of regulating the banking business of certain co-operative societies and for matters connected therewith, be taken into consideration.”

I should, perhaps, say at the outset that it was our intention to include these provisions in the comprehensive amending Bill which was passed by Parliament in December 1963 and was subsequently brought into force with effect from the 1st February, 1964. The State Governments, which are and will even after the enactment of the present Bill continue to be, responsible for the constitution, management and winding up of the co-operative banks, were not, however, ready in 1963 to accept our proposals regarding the extension of the more important provisions of our banking laws to these institutions. I am glad to say that all our proposals have since been explained in some detail to the State Governments, the Registrars of Co-operative Societies and the non-official leaders or representatives of the co-operative movement and that the need for legislation of this kind is now generally appreciated. The present Bill is, in fact, based on the largest common measure of agreement among those who are likely to be affected.

13.24

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair].

It may be helpful at this stage if I gave the House certain details regard-

ing the growth and development of the co-operative movement generally and of co-operative banks in particular during the last few years. Although the progress of co-operation in some States, particularly Assam, Bihar, Orissa, Rajasthan and West Bengal has not, perhaps, been very marked (and we are now considering separately the question whether the volume of credit provided by co-operative societies in these States, especially for agricultural purposes, can be supplemented in other ways) there are other States like Maharashtra, Gujarat and Madras, in which the record of achievement in recent years has been quite impressive.

There has been a considerable increase in the deposits of the apex, central and the larger primary urban co-operative banks. The total deposits in these institutions are estimated today at about Rs. 350 crores, including deposits from individuals, both members and non-members of the order of Rs. 175 crores. There has been a much greater increase in the loans and advances of the co-operative banks at all levels. It is now anticipated that short and medium-term credit for agricultural purposes advanced annually may be of the order of Rs. 400 crores, by about the end of June, 1966, while long-term credit disbursed by the land mortgage banks and by the Agricultural Refinance Corporation and outstanding at the end of June 1966 may be about Rs. 120 to Rs. 130 crores. The targets which are now in view are about Rs. 650 crores of short and medium-term credit to be advanced annually at the end of the Fourth Plan and about Rs. 375 crores of outstanding long-term credit at the end of June, 1971.

Credit for non-agricultural purposes has so far been very much less important. But in view of the establishment and growth of sugar and spinning mills in the co-operative

[Shri B. R. Bhagat]

sector, the development of other processing societies or industrial co-operatives and the organisation of marketing and consumer societies in very large numbers, particularly for handling essential articles which are in short supply, the need for funds for non-agricultural purposes has been increasing, even more rapidly perhaps, than credit for purely agricultural purposes. It will be necessary to make satisfactory arrangements in future for the provision and orderly use of this credit.

This Bill, Sir, is based on a recognition of the growing importance of co-operative banks which will be handling these very large sums of money. The Reserve Bank, as an institution which has already lent an amount of about Rs. 200 crores to the co-operative banks and as the authority which is ultimately in charge of monetary policy, cannot any longer ignore the dimensions which are now involved. It will in fact be illogical to do so, at a time when the operations of even non-banking institutions are intended to be controlled, in so far as they affect credit and monetary policy. The House, I think, will agree with me that we are justified, in the existing circumstances, in applying to the co-operative banks the standards which are relevant and are generally applied in the case of all sound banking or financial institutions.

I do not propose to deal with the provisions of the Bill in any great detail as I do not think that this will be necessary. We have tried to explain as clearly as possible in the notes on clauses the general framework of the control as it is now proposed to be extended to co-operative banks. I will, therefore, refer only to one or two points which may be of particular interest to the members.

We propose to control in future the banking business of all State or apex

co-operative banks, all Central co-operative banks and all primary non-agricultural credit societies with paid-up capital and reserves of a lakh of rupees. We expect the number of these institutions to be about 900. Although this number is relatively insignificant, in relation to the total number of co-operative societies registered under the various enactments, which are now locally in force in the States or Union territories, the volume of credit provided by, or through the co-operative societies at all levels, can, I think, be effectively controlled and regulated through these institutions.

We have not considered it necessary or desirable to assume any control over the operations of land mortgage banks and primary agricultural credit societies. Land-mortgage banks do not really transact the business of banking as it is normally understood. As regards primary agricultural credit societies, it will be administratively difficult to control the operations of these societies; and it may not be realistic to expect them to conform to the practice and usage of the other banks. We have also been influenced, Sir, by the fact that any attempt to interfere with the functions and working of the agricultural credit societies may lead to some dislocation, particularly in the case of societies, which are providing, apart from credit, marketing and other facilities to the cultivators. As no useful purpose is likely to be served by interfering with the working of the societies which cater, by and large, to the agriculturists direct, we have excluded these societies completely from the scope of the present Bill, leaving it to the State or apex co-operative banks concerned to exercise such supervision over the activities of these societies or to give such directions to them as may be necessary.

Co-operative societies other than agricultural societies or landmortgage

banks, will, if they are not co-operative banks by definition or non-agricultural credit societies (which may be expected to grow in stature and to be covered in due course by this definition) be required to give up the business of banking altogether, after the expiry of a transitional period of one year. We have considered this provision to be necessary for segregating the non-banking societies from those which may be carrying on, or may be permitted to carry on, the business of banking. There is, so far as I am aware, no reason to think that societies, which are primarily interested in trading or processing, or consumer societies, or thrift and credit societies, which deal only with their own members and not with the general public, will experience any difficulty or hardship, as a result of being required to refrain in future from accepting deposits from members of the general public or from granting loans to such non-members.

I referred earlier, Sir, to the fact that we propose to apply the more important provisions of our banking laws to about 900 institutions at the apex, central and primary levels. I should, perhaps, add that as Parliament does not have any jurisdiction in regard to the registration, management or winding up of any co-operative society or any class of co-operative societies, we have been careful to limit the extent of the additional powers, which are now being assumed, to what can legitimately be comprehended within the meaning of 'banking', which, as the House is aware, is an entry in the Union List. While the Bill provides for such matters as the licensing and inspection of co-operative banks, the extension of the directives as regards selective credit control to advances granted by these banks, minimum liquidity requirements and the issue of directives for regulating the conduct of banking business or the grant of particular advances, the House will,

perhaps, have noticed that we propose to omit entirely Parts IIA, III IIA of the Banking Companies Act, dealing with appointment, removal or supersession of the managements of banks, the liquidation of banks and the special procedure in the event of liquidation. In extending or omitting the provisions of the existing enactments, or in modifying these provisions, where this has been necessary, we have taken into consideration the constitutional and legal position as well as the special requirements of the co-operative banks and other co-operative societies.

I am aware that the absence of any provision in this Bill for the insurance of deposits in co-operative banks has caused some disappointment to those who are interested in the future growth and development of the co-operative movement. I should like to state quite clearly that the protection of the deposits in the controlled banks, on the same terms and conditions as in the case of other commercial banks is, in my view, a logical corollary to the extension of control. As the House is, however, aware, the contingencies in which the liability on account of insurance will be attracted and will have to be discharged should be quite clear and determinate. The Deposit Insurance Corporation or the Reserve Bank as the authority directing the affairs of this Corporation, should be in a position to decide finally the circumstances in which this liability may arise.

The Reserve Bank has been discussing this question with the State Governments and has indicated to these Governments the changes which will be necessary in their laws, before any liability on account of the insurance of the deposits can be assumed. I hope that the Reserve Bank's proposals will soon be accepted. I would like to assure the members that a Bill to amend the Deposit Insurance Corporation Act, 1961 will be finalised and placed before the House, as soon as there is some indication that the

[Shri B. R. Bhagat]

States will be generally willing to accept these proposals.

I think that I should also take this opportunity to say a few words regarding the manner in which the powers which we intend to acquire through this Bill are proposed to be exercised.

I am aware that several non-official leaders of the cooperative movement have expressed the view in the recent past that the Agricultural Credit Department of the Reserve Bank of India, which has been intimately associated with the growth and development of cooperation, over a period of about thirty years, should continue to be in charge of the co-operative banks, even after this Bill has been passed and brought into force. Without accepting any criticism of any other department of the Reserve Bank which may be implied in this demand (and personally I think that the Reserve Bank in any department or at any level is bound to be sympathetic and helpful) I am prepared to assure the House that the responsibility for the enforcement and implementation of the provisions of this Bill will be entrusted to the Agricultural Credit Department. It is hardly necessary to add that the special position of the cooperative banks and the federally integrated character of the cooperative structure as a whole will not be overlooked by the Agricultural Credit Department.

It has been suggested that the Reserve Bank should be in close and continuous touch with the State or apex co-operative banks as regards the working of the institutions within the area of their operation. It has also been urged that the Registrars of Co-operative Societies should be consulted, before action under some of the provisions is proposed to be taken. I do not know whether it will be possible or desirable to adopt any rigid rules as regards matters of procedure. I assume that there will be

close co-operation and understanding between the Reserve Bank and the local authorities. The Standing Advisory Committee attached to the Agricultural Credit Department will in any case be consulted . . .

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास)

उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है ।

Mr. Deputy-Speaker: The bell is being rung—Now, there is quorum. The hon. Minister may continue.

Shri B. R. Bhagat: I would repeat that the Reserve Bank of India and Government have been assisted by non-officials associated with this co-operative movement, especially Prof. D. R. Gadgil, in the formulation of these measures. Their view has been that the co-operative banks should be covered by the deposit insurance. It was Government's view also, as I explained earlier; we wanted this Bill to be more comprehensive. But due to certain difficulties, particularly because the concurrence and general approval of State Governments has to be obtained, this could not be. We are in touch with them. We are content at the present moment with a much simpler measure. But this is in the first instance. It is our intention as soon as possible, as I have said earlier, to examine the possibility of enlarging the scope of this measure. The assurances of the Governor of the Reserve Bank to help enlarge the range of the utility of the banks to the public and to keep non-official opinion in close touch with the operation of this measure will be honoured; their wishes, particularly of the respected leaders of the movement who have spent such a long time in it and who have such rich experience, will be fulfilled as far as possible.

I had said at the beginning that this is a non-controversial Bill. I should like to add that the co-operative movement, in our opinion, will be benefited as a result of the strengthening and improvement of the position of the apex, central and selected primary co-operative banks which



cater to such a large extent to the needs of all other co-operative societies. In this sense, this is a positive and constructive measure, and the House should welcome it. I hope the Bill will be adopted unanimously I move.

**Mr. Deputy-Speaker:** Motion moved:

"That the Bill further to amend the Reserve Bank of India Act, 1934, and the Banking Companies Act, 1949, for the purpose of regulating the banking business of certain co-operative societies and for matters connected therewith, be taken into consideration".

Two Hours have been allotted for this Bill.

**Shri P. R. Patil (Patan):** I have pleasure in supporting the Motion. The co-operative sector stands in between the public sector and the private sector, the private sector abusing the public sector and the public sector abusing the private sector. The co-operative sector is the only sector that is between the two, and it is progressing day by day. When this progress is there in this sector, it is absolutely necessary that there should be control. If proper vigilance is not kept, perhaps there would be failures in the co-operative sector and that would not be relished by the people.

The most important thing in the co-operative sector that has to be done is to create confidence in the people. That confidence is not yet created. People look with suspicion on the co-operative movement. In order to win the full confidence of the people, it is absolutely desirable to exercise vigilance by some body; specially banking done in the co-operative sector deserves more vigilance. In this case, we are applying most of the banking laws to co-operative banking. The Reserve Bank will be exercising some control over the banking done by co-operative banks. There is nothing wrong in it, because when

banking is done, naturally the banking laws must apply, whether it be in the co-operative sector, private sector or public sector. Therefore, it is absolutely proper that all the banking laws should apply to it.

I know some co-operative banks that transact business worth crores. There are also some failures and mistakes committed by these banks. The co-operative department of the State, in order not to expose their inactivity or negligence, try to protect such mischief. This is a wrong policy. I hope the day will soon come when all the banking laws would apply to banking done by co-operatives. Otherwise, some control with the Registrar, some with the Reserve Bank and some with the Central Government—in this way proper vigilance would not be maintained. For this reason, I am of opinion that so far as banking is concerned, it should be a central subject and this co-operative banking should be put absolutely on par with commercial banking. No doubt, special concessions may be given to co-operative banking. I do not deny the need for it. At the same time, more vigilance or proper vigilance should be kept on banking done by the co-operative sector. I am told that some co-operative banks give large amounts of loans to individuals one way or other. So, if proper vigilance is not there, there may be more failures.

I support the Bill, and thank you for the time given.

**Mr. Deputy-Speaker:** Shri S. S. More.

श्री हुकम चन्द कछवाय : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में कोरम नहीं है ।

**Mr. Deputy-Speaker:** The quorum bell is being rung. Now there is quorum.

**Shri S. S. More (Poona):** I propose to accord my support to the present

[Shri S. S. More]

measure. I believe it is a very useful measure and will help a lot to clean the Augean stables of some of the co-operatives.

Unfortunately in this country, though in some parts co-operation is developing very vigorously, mischiefs are also being practised, and it is highly desirable, if we want to develop co-operation on sound lines, that all these mischievous elements in the co-operative movement should be controlled and checked. I believe that if we are to reach faster towards socialism, co-operative measures will be the only effective instrument by which we can make our journey as expeditious as possible. Therefore, the authority which is now being placed in the hands of the Reserve Bank is welcome and desirable. Those who have the interests of co-operation at heart will feel undoubtedly that this measure will do immense good for improving the co-operative structure.

Even after the passing of this measure, there will be a sort of dual control, control of the State Government through the Registrar and control of the Central Government through the Reserve Bank. There are developing two authorities with differing angles in dealing with the co-operative movement, and it is quite possible to envisage occasions on which the dual control may clash. That should be avoided. Mutual consultation between these controlling authorities frequently will help carry on the administration of co-operatives effectively.

As my hon. friend Shri P. R. Patel has suggested, co-operatives should be dealt with the same measure of control as commercial banks, but there is a distinction. Banking of the co-operative societies is of a different quality and for a different purpose. If you use the same yardstick in dealing with the co-operative societies as in the case of commercial banks, possibly some untoward results may

follow. So, co-operative societies will have to be dealt with with a soft glove on. If that is done, I feel that this department will be able to remove the evil spots from the co-operative movement and raise their efficiency and banking capacity.

With these remarks I feel that I should support and that the House will support this measure.

**Shri Firodia (Ahmednagar):** I welcome the Bill. I welcome more the assurances given by the Finance Minister while introducing the Bill. As a matter of fact, I would have liked if the Reserve Bank had consulted the National Co-operative Union of India, which is the highest body in the co-operative movement in this country and then this Bill had been brought before the House.

This Bill, as the Finance Minister said, is not controversial. He is subjecting the co-operative banks to the same restrictions which apply to joint stock banks under the Reserve Bank of India or the Banking Companies Act. As my hon. friend Shri More has said, there is some difference between the co-operative banks and joint stock banks. For instance, there is a restriction in the Bill that a bank which is controlled by this Act should not invest its funds in any other co-operative institution without the permission of the Reserve Bank. I think this might come in the way of developing the co-operative movement. As our experience goes, all the co-operative banks of this country are, in the initial stages, helping the co-operative institutions in the processing or marketing field to come up and invest in the share capital of such institutions. So, I would suggest that instead of putting this restriction on the co-operative banks, as the Registrar has himself said, if investment over a certain amount has to be made in the shares of any other co-operative institution, the permission of the Registrar may be made necessary. If such a limit

is put for investment in shares, that will be worth while to the co-operative movement.

As we know, all the States are passing co-operative laws. They are putting lots of restrictions on the powers and procedures of the co-operative institutions. Under the circumstances, we must allow a little freedom to the co-operative institutions which we are trying to bring under the purview of this law.

I was really very glad that the Finance Minister made a gesture by saying that the deposit insurance scheme would be brought into force as early as possible. He has said that the States are to be induced to give their consent to the scheme. I feel that when we are now putting these restrictions on the co-operative banks, the States will come forward and give their consent early, and that we will be able to have this deposit insurance scheme applied to the co-operative banks. As we all know, there is a great competition in getting the deposits from the general public between the corporate sector and the co-operative sector, and if do not give this advantage to the co-operative sector as early as possible, I am afraid that an important thing like deposit might go away from the co-operative sector, and it might be taken away by the commercial banks or by the State banks.

The Act provides that the district banks should open branches in the area of their operations, but the other banks are debarred from opening branches in the area of their operations. If an urban bank has an area of operation of more than one taluk or city or district, I suggest it should be allowed to open branches in the district itself or in its area of operation. That much freedom should be given to that bank because that bank has got to obtain the permission of the Registrar before opening the branch.

I was glad that the Minister had also accepted a suggestion of Prof.

Gadgil made some time ago that the Standing Advisory Committee on Agricultural Credit should be consulted whenever necessary or on all important points. He has also accepted the suggestion that the Agricultural Credit Department should be in charge of enforcing this law on the co-operative societies.

I am sure that with the restrictions which we are putting on the co-operative banks, the tone of their working will improve and they will be useful in serving the public of this country.

110 श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) :  
श्रीमन्, यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, इसके बारे में मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूँ ।

सहकारिता का कार्य समस्त देश में बढ़ा है, और अब तो स्थिति यह है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऐसा नहीं होगा जिसमें एक लाख का वकिंग कैपीटल न हो । इसलिए अधिकतर जो सेंट्रल या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हैं उनका प्रेजेंट कैपीटल कम से कम एक लाख तो हो ही गया है ।

इसका तो मैं स्वागत करत हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हैं उन पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण होना चाहिए । परन्तु मुझे इस बात का खेद है कि जब यह विधेयक लाया गया तो यह जानने का प्रयास नहीं किया गया कि जो कार्यक्रम जिला सहकारी बैंक चला रहे हैं उससे जो ग्राहमरी सोसाइटीज के ग्राहमरी सदस्य कृषक हैं उनको सही तौर से लाभ पहुंच रहा है या नहीं ।

मेरा सबसे पहले यह कहना है कि रिजर्व बैंक को इस और नियंत्रण रखना चाहिए । जो कर्जा रिजर्व बैंक द्वारा प्रांतीय बैंक या प्रॉपर्स बैंक को दिया जाता है और उनके द्वारा डिस्ट्रिक्ट बैंक

[श्री गौरीशंकर कक्कड]

को दिया जाता है। मैं बतलाना चाहता हूँ कि मझे बुद्ध डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की हैसियत से काम करने का दस साल का तजुबा है। मैं जानता हूँ कि जो शहरसूद रिजर्व बैंक अपेक्स बैंक से चार्ज करता है वह डेढ़ या दो पर सेंट होता है, लेकिन आखिर में जो प्राइमरी सोसाइटी का सदस्य कृषक है उससे 7 से 9 पर सेंट तक सूद लिया जाता है। तो रिजर्व बैंक को यह देखना चाहिए कि इतना अन्तर न हो और जिन लोगों के लाभ के लिए सहकारी संस्थाएं बनायी गयी हैं उनको शार्ट टर्म लोन पर 7 पर सेंट से 9 पर सेंट तक सूद न देना पड़े और इस बारे में उसको नियंत्रण रखना चाहिए।

होता यह है कि जो सहकारी आंदोलन चलाता है, उसमें दो अंकुश हो जाते हैं। पहला नियंत्रण या अंकुश तो प्रांतीय रजिस्ट्रार महोदय और उनके नीचे जो कर्मचारी होते हैं उनका होता है, और फिर दूसरा अंकुश रिजर्व बैंक का होता है। जब इस प्रकार के दो अंकुश या नियंत्रण होते हैं तो चीजें ठीक से चल नहीं पाती हैं और उनके अधिकारों में उतार चढ़ाव के कारण तथा कार्यशैली में अन्तर होने के कारण अति पहुंचती है।

इसलिए मेरा दूसरा सुझाव यह है कि अगर रिजर्व बैंक इस विषय को ला कर यह कंट्रोल करना चाहती है और उनको नान-सिड्युल्ड बैंक की तरह ट्रीट करना चाहती है, तो फिर इस बात की भी सफाई होनी चाहिए कि जहां तक बैंकिंग का सम्बंध है और जहां तक उनके इंटेरेस्ट चार्ज करने का सम्बंध है, वह अधिकार रिजर्व बैंक को अपने हाथ में लेना चाहिए और रजिस्ट्रार जो दूसरे प्रवेन्तों के हैं उनको यह अधिकार न हो ताकि जो कृषक मेम्बर हैं उनको इसका सही तौर पर लाभ पहुंच सके।

मैं यह देखता हूँ कि इस में कुछ कठिनाई होने की संभावना है। अभी तक जो लिक्विड कवर का प्रश्न था उस पर भी निबंधन कर दिया गया है। परन्तु मैं यह समझता हूँ कि इसमें जो छूट दी गयी है उसके बाद उनके चलाने में दिक्कत न होगी।

मेरा तो यह निवेदन है कि जब 80 से 85 प्रतिशत जबता के लाभ के लिए सहकारिता का काम चलाया जा रहा है तो फिर हर चीज को रिजर्व बैंक देखे ताकि वास्तव में कृषकों का हित हो। ऐसा न हो कि कई प्रणामियों के कारण कठिनाई पैदा हो।

इन अपेक्स बैंकों की क्या आवश्यकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सेंट्रल बैंक को रिजर्व बैंक कंट्रोल कर रहा है और जिनका बैंकिंग कंट्रोल एक लाख है उनको नान-सिड्युल्ड बैंकों की श्रेणी में लाया जा रहा है, तो फिर इस अवस्था में अपेक्स बैंक की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर उनको हटा दिया जाए तो जो अपेक्स बैंक बीच में डेढ़ या दो पर सेंट का अपना सूद ले लेती हैं वह बच जाएगा और जो कर्जा प्राइमरी सोसाइटी के सदस्यों को डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से मिलता है उसमें इस डेढ़ या दो पर सेंट ब्याज की छूट हो सकती है।

अन्त में मुझे यह कहना है कि मैं इसका समर्थन करता हूँ। रिजर्व बैंक का इसमें जो नियंत्रण रखा गया है वह उचित ही है परन्तु इसी के साथ साथ इस पर भी विचार करना चाहिए और ऐसा संशोधन लाना चाहिए जिसके द्वारा वास्तविक रूप में जो सहकारिता आन्दोलन देश में चल रहा है वह केवल एक पेपर प्रमोशन-होकर न रह जाय और केवल प्रमोशन को बदल कर हर साल बैलेंस शीट्स के बनाने की बात न हो बल्कि सही तौर पर समय के अन्तर

कम मूद में रुपया कृषकों को पहुंचे। जो कृषि सम्बंधी आवश्यकताएं हैं वे भी सोसाइटी द्वारा पूरी हों। इस और भी रिजर्व बैंक का कदम उठाना चाहिए और अगर इसमें कोई मतभेद हो तो उसकी सफाई आवश्यक होनी चाहिए ताकि सही तौर पर सहकारिता के जो बैंक्स हैं उनके द्वारा लाभ पहुंच सके और जो बीच वाले या मिडिलमैन का प्राफिट है और जैसा कि मैंने अभी एपेक्स बैंक के बारे में निवेदन किया वह चीज हट जाय तभी इससे ज्यादा लाभ हो सकेगा। इन सुझावों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े हर्ष की बात है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी अब बैंक्स की श्रेणी में लाई जा रही हैं। बैंक की यह सहूलियतें उनको रिजर्व बैंक के द्वारा दी जा रही हैं।

आज हम बहुत धंधों में अपने देश का उद्धार या उसकी प्रगति कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सहकारिता का, कोऑपरेटिव्स का सारे देश भर में एक जाल सा बिछ जाय। हर एक गांव में सहकारिता के द्वारा किसानों को क्रेडिट की सहूलियत प्राप्त हो, उनको खेन-देन की सुविधा सुलभ हो सके। ऐसी व्यवस्था होने से आज किसानों को महाजनों को 25-25 और 30-30 फीसदी तक मूद देना पड़ता है उनको इससे राहत हो जायगी लेकिन खेद का विषय है कि अभी तक इधर ध्यान कम रहा है। इसी चीज को मदेनजर रखते हुए रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर एक बेयरहाउसिंग कारपोरेशन बना था। वह इसलिए बना था कि काश्तकार अपना माल मिडिलमैन के हाथ में न देकर उसको वे बेयरहाउसिंग कारपोरेशन में रखें ताकि उनको उसका लाभ मिल सके। लेकिन अभी परसों तक देखने में बड़ी आया है कि उसका लाभ किसानों ने दरअसल न लेकर बनियों ने लिया। देखा यह गया कि जितना

गल्ला बेयरहाउसिंग कारपोरेशन के भंडार में आया उसमें केवल 16 फीसदी सरकार का था और 84 फीसदी व्यक्तिगत था। उस 84 फीसदी के बारे में भी यह मालूम पड़ा कि उसमें से केवल 13 फीसदी काश्तकारों का था जबकि 73 फीसदी बनियों का था। जब देश में धन्न की कमी हुई, देश में धन्न की दिक्कत हुई तो बनियों ने वह 73 फीसदी गल्ला जोकि वहां पर जमा था उन गुदामों से वापिस ले लिया और उस गल्ले को उन्होंने मनमाने तौर पर काफ मंहूँ भाव पर बेचा। इस तरह से वह भंडार भी उनके भारी मुनाफे के साधन बन गये। मैं इससे इंकार नहीं करता कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट और बैंकिंग कम्पनीज ऐक्ट को मौजूदा बिल के जरिए धमैक करने से कुछ सुधार होगा और सहकारिता के क्षेत्र में बहुत प्रगति की आशा है लेकिन मेरा तो अनुरोध गवर्नमेंट से यही है कि वह सन् 1912 का जो मूल कोऑपरेटिव ऐक्ट है उसमें आमूल चूल परिवर्तन किया जाय। उसमें आज इतना नियंत्रण सरकारी अधिकारियों का है, इतना प्रभुत्व उनका है कि हमारे कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा नहीं मिल पाता है। कदम कदम पर सुपरवाइजर्स, डिप्टी डाइरेक्टर और रजिस्ट्रार द्वारा सहकारिता आंदोलन के प्रसार और उसकी प्रगति के के पक्ष में ब्रेक लगाये जाते हैं। हमारे उत्तर प्रवेश में इसका बड़ा कटु अनुभव है और होता यह है कि कोऑपरेटिव बैंक का कोई डाइरेक्टर कोई कदम उठाता है तो तुरन्त रजिस्ट्रार पहुंच जाता है और बिला ज़रूरत उसको बजाय प्रोत्साहन देने के हैरेस किया जाता है और कहता है कि तुम यह काम नहीं कर सकते इसलिए सस्पेंड कर दूंगा। जब तक हमें अपना काम करने की स्वतः सुविधा नहीं होगी तब तक हम यह काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि 1912 का जो मूल कोऑपरेटिव्स का ऐक्ट है उसमें आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

[श्री: सिंहासन सिंह]

यहां कहा गया कि सहकारिता का आंदोलन बढ़ा है और उस क्षेत्र में प्रगति हुई है। हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने सहकारिता के आधार पर देश का कामकाज चलाने के वास्ते विशेष जोर दिया था और कहा था कि हम सहकारिता के आधार पर चल कर देश की प्रगति के पथ पर बढ़ा ले जायेंगे। एक ओर हमारे कम्युनिस्ट साम्यवाद है, एक तरफ पूंजीवाद है, दोनों के बीच में हम कोओपरेटिक्स को ही आधार मान कर और सहकारिता का ही सहारा लेकर हम देश का उद्धार कर सकते हैं और उसकी उन्नति कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आवश्यक यह है कि सन् 1912 के कोओपरेटिव ऐक्ट में जो कदम कदम पर रोक है उसे दूर किया जाय और मैं मंत्री महोदय का उसमें ग्रामूल चूल परिवर्तन करने के लिए ध्यान आकर्षित करूंगा। हमें इस ऐक्ट को बदलना होगा। हर एक प्रदेश में/प्रदेश प्रत्येक प्रत्येक परिवर्तन करने की आवश्यकता है जोकि अभी तक नहीं हो पाया है। हमारे उत्तर प्रदेश में कोओपरेटिव ऐक्ट में परिवर्तन करने में एक मंत्रिमंडल बदल गया और दूसरा मंत्रिमंडल भी बदल गया लेकिन अभी तक वह कोओपरेटिव ऐक्ट नहीं बदल पाया है। इसे क्यों नहीं बदल पाये? दरअसल चीज यह है कि जो अधिकारी वर्ग है वह अपने अधिकारों से वंचित नहीं होना चाहता और वह तमाम उन अधिकारों को अपने पास बनाये रखना चाहता है और जाहिर है कि जब तक उनके अधिकार बरकरार रहते हैं तब तक सहकारिता की क्या प्रगति होगी। उसके रहते सहकारिता की क्या प्रगति संभव हो सकती है वह भगवान ही बता सकता है। जिन प्रदेशों में यह सहकारिता का मुवमेंट पिछले पांच, छ वर्षों से चल रहा है वहां उस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। हमारे कोओपरेटिक्स के मिनिस्टर जाकर देहातों में देखें तो उन्हें वास्तविकता का पता चल जायेगा। दरअसल हुआ यह

है कि जो सोसाइटियां ग्रामस में माल लेती हैं और क्रेडिट और जमा का ग्रामस में काम करती हैं उनकी बन आई है। दरअसल वह जो पुरानी क्रेडिट सोसाइटियां थीं उन्हीं का नाम अब बदल कर साधन सहकारी समितियां रख दिया गया है। वह पुरानी कोओपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज ही साधन सहकारी समितियों में परिवर्तित हो गयी हैं और उनका भीतरी रूप नहीं बदला है। मैं ग्राम से अनुरोध करूंगा कि सब स्टेट्स से ले कर एक केन्द्रीय कोओपरेटिव ऐक्ट बनायें। लेकिन यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि ग्राम 1912 के मूल कोओपरेटिव ऐक्ट में ग्रामूल चूल परिवर्तन नहीं करेंगे। यह थोड़ा थोड़ा करके एक एक बिम्बच चीनी और घी देने से कोओपरेटिक्स की प्रगति नहीं होगी। इसकी प्रगति तभी मुमकिन हो सकेगी जब कि ग्राम इसमें ग्रामूल चूल परिवर्तन करेंगे।

सहकारिता के क्षेत्र में महाराष्ट्र सबसे आगे बढ़ा है। वहां सहकारी मिलें हैं, सहकारी कारखाने बन रहे हैं और सहकारिता खेती हो रही है लेकिन और किसी दूसरे प्रदेश में सहकारिता नहीं बढ़ी है और वह ज्यों की त्यों है। वैसे इस संशोधन द्वारा जो कुछ मिल रहा है उतने का ही स्वागत है लेकिन अधिक से अधिक अगर देश को सहकारिता के मार्ग पर ग्राम ले जाना चाहते हैं तो ग्राम ऐसा कानून बनाइये ताकि कोओपरेटिक्स को पूरा अधिकार और काम करने की आजादी हो। जैसे कि अगर 10, 20 ग्रामियों को लेकर हम कोई काम करना चाहें और वह उसके लिए लिखें तो वह खुद ब खुद रजिस्टर्ड हो जायें लेकिन आज वह चीज देखने को नहीं मिलती है। होना तो यह चाहिए कि अगर कोई सहकारिता के आधार पर काम करना चाहते हैं, दस, बीस ग्रामों इकट्ठा हो जाते हैं तो उनके लिख देने भर से उनको रजिस्टर्ड कर लिया जाय जबकि उन्हें अभी रजिस्ट्रार का दरवाजा खटखटाना पड़ता है और उनके पीछे, पीछे स्वीकृति प्राप्त करने के लिए

दोड़ना पड़ता है। रजिस्ट्रार आदि सरकारी अधिकारियों का प्रभुत्व न हो और हमको स्वतः सहकारिता के पथ पर आगे बढ़ने और उसका प्रसार करने की पूरी आजादी प्राप्त हो। इसके लिए कोऑपरेटिव्स के मूल ऐक्ट में भ्रामूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं वर्तमान संशोधन का समर्थन करते हुए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे इसी सत्र में या अगले सत्र में हर एक राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर के इस तरह का एक अखिल भारतीय स्तर पर कोई एक सहकारी कानून लायें ताकि सहकारिता का भाव सही मायनों में देशवासियों में जागृत हो और देश की तरक्की हो। बस इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ।

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि आध्र घंटे के दौरान मैं तीन बार कोरम का सवाल उठाया जा रहा है। इस समय भी हाउस में कोरम नहीं है।

**Mr. Deputy-Speaker:** The bell may be rung . . . Now, there is quorum. This is the first day of the session. In one hour, we have rung the bell thrice. It is a very sad reflection. Hon. Members will please maintain the quorum. Shri A. S. Saigal.

**श्री प्र० सि० सहगल :** (जंजगीर) : उपाध्यक्ष महोदय, बकिंग ला को सहकारिता की सोसायटीज पर लागू करने के लिए जो जो कानून लाया गया है, मैं उस का समर्थन करता हूँ।

आज हमें यह देखना है कि इस देश में सहकारिता के सिद्धान्त को और को-ऑपरेटिव्स कोऑपरेटिव सोसायटीज और कोऑपरेटिव बैंक्स को किस तरह से प्रसार किया जा सकता है। आज हर एक प्रान्त में सहकारिता के जरिये से काफी कार्य हो रहा है। रिजर्व बैंक

रूपया देता है प्राविशल बैंक्स को और प्राविशल बैंक्स डिस्ट्रिक्ट बैंक्स को रूपया देते हैं। इस के बाद डिस्ट्रिक्ट बैंक्स ग्रामों में काम करने वाली सहकारी सभाओं को रूपया देते हैं। लेकिन होता यह है कि सहकारी सभाओं को रूपया बहुत ऊँचे रेट प्राफ इन्स्ट्रेट पर मिलता है। मैं समझता हूँ कि अगर सहकारी सभाओं को कम ब्याज पर रूपया दिया जायेगा, तभी वे काम कर सकेंगी, वर्ना नहीं।

जहाँ तक नियंत्रण का प्रश्न है, आज के जमाने को देखते हुए 1912 के ऐक्ट में संशोधन करने की अत्यन्त आवश्यकता प्रतीत होती है। उस ऐक्ट के अनुसार सारा अधिकार रजिस्ट्रार के हाथ में दिया गया है। मैं समझता हूँ कि वह अधिकार काम करने वालों को दिया जाना चाहिए। मुझे अपने जिले का तज्जबा है कि रजिस्ट्रार महोदय से हमारे खयालात न मिलने के कारण हमारा बैंक तीसरे दर्जे पर रखा गया। लेकिन मैं गर्ब के साथ कह सकता हूँ कि हम ने अपना काम दिखा कर अपने बैंक को क्लाम बन बना कर छोड़ा।

अगर हम कोई गलतियाँ करते हैं, तो हमारे सरकारी कर्मचारियों और रजिस्ट्रार आदि का यह कर्तव्य है कि वे हमारे साथ बैठ कर उन के बारे में निर्णय करें। अगर कोई व्यक्ति रूपया गवन करते हैं, तो वे बेशक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस लिए कि हमारी विचार धारा और रजिस्ट्रार महोदय की विचार-धारा में भ्रन्तर होता है, सरकारी कर्मचारी स्वयं ही कोई निर्णय ले लेते हैं और हम को तंग करने का प्रयत्न करते हैं। यह मनोवृत्ति अच्छी नहीं है और यह सहकारिता को आगे नहीं ले जा सकती है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि रिजर्व बैंक से जो रूपया दिया जाता है, वह सहकारी सभाओं को ज्यादा ब्याज पर न मिले। आज क्या होता है कि बहुत सारे बैंक 6 परसेंट पर देने हैं, लेकिन 3 परसेंट उन का

[श्री अ० सि० सहगल]

मूल धन हो जाता है, कोई 8 परसेंट पर देते हैं और कोई 9 परसेंट पर देते हैं। तीन परसेंट उन के यहां बचत हो जाती है। सहकारी सभाओं को 9 परसेंट पर रुपया मिलता है। इस लिए हम को इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि ब्याज की दर को किस तरह से कम किया जा सकता है।

जहां तक इस बिल में लिक्विडेटर मुकर्रर करने का प्राविजन रखा गया है, वह ठीक है। लिक्विडेटर को बराबर जाना चाहिए और यदि कोई बैंक ठीक तरह से नहीं चलता है, यदि कोई बैंक चलाया नहीं जा सकता है और वह लिक्विडेशन में जा रहा है, तो बेशक उन को उस बैंक को लिक्विडेट करने का पूर्ण अधिकार है। जो यह अधिकार प्रेजिडेंसी मैजिस्ट्रेट और दूसरे मैजिस्ट्रेटों को दिया गया है, मैं उस की सराहना करता हूं।

आप विचार करें कि हमारे देश में सत्तर से अस्सी फीसदी लोगों का काम कोऑपरेटिव बैंक्स से पड़ता है और मेरा ख्याल है कि वह काम सहकारी सभाओं के जरिये से हो रहा है। इसलिये रिजर्व बैंक को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इस क्षेत्र में काम करने वालों को कोई तकलीफ न हो। मैं समझता हूं कि यह रिजर्व बैंक की पहली खूबी होनी चाहिये।

क्वेंटर 3 में कहा गया है कि कंश रिजर्वजं आफ शिड्यूलड बैंक्स टु बि कंष्ट विद दि बैंक्स। अगर किसी बैंक में ज्यादा पैसा है, तो वे दूसरों के डाफ्ट या दूसरी चीजें रख कर कर्ज देते हैं। हम खुद बैंक्स के जरिये से दूसरों को रुपया देते हैं। इस में कोई बात नहीं है। लेकिन इस कानून का प्रभाव यह होगा कि जो बैंक आज खुले-धाम काम कर रहे हैं, उन को धक्का पहुंचेगा। अगर किसी बैंक के पास कोई फालतू रुपया है, जिस से वह बिजनेस नहीं करता है, तो बेशक उस को डिपॉजिट कर देना चाहिए

और इस में कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं। लेकिन अगर हम उस रुपये से बिजनेस करते हैं और बैंक की भलाई के लिए करते हैं, तो उस को जमा कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जैसाकि मैं ने कहा है, मेरा ख्याल है—हो सकता है कि मंत्रालय का यह ख्याल न हो—इस मसाले की वजह से उन बैंकों के काम में बाधा पड़ेगी, जो कि आज खुले धाम काम कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री उ० मू० त्रिषेबी (मंदसौर) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। यह बिल जितनी जल्दी आना चाहिए था, उतनी जल्दी नहीं आया, यही एक दुख की बात है। सरकार की यह नीति हो गई है कि जब तक कोई बुराई इस हद पर नहीं पहुंच जाये कि उस के लिए चारों तरफ आवाज उठाई जाने लग, तब तक कोई कानून नहीं बनाया जाता है।

वैसे तो कानून लोक सुधार के वास्ते हमेशा आप बनाने को तैयार होते हैं, जहां कोई आवाज तक नहीं निकलती, है वहां कानून बना दिया जाता है लेकिन जहां आवाज निकलती है वहां तक आप राह देखते रहते हैं जब तक बुराई पूरी तरह से छा नहीं जाती है।

कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बोगस को-ऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ऐसी बात नीचे के दर्जे के लोग तो कह रहे थे और कानून द्वारा उस के सुधार की बात हो रही थी और कितने ही दिनों से हम उस को सुनते भी चले आ रहे थे लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक उस और कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले साल की बात है कि हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट के मिनिस्टर श्री डे ने कहा था कि उन की जांच से मालूम पड़ा है कि पचास परसेंट तक ये बोगस



सोसाइटीज हैं। मैं अपने इलाके की बात जानता हूँ। आज बेईमान धादमियों के हाथों में ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जिन में गरीब काम करने वाले कर्मचारी तो फंसा लिये गये हैं लेकिन जो मैनेजर हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वे लाखों रुपया गबन कर के जेबों में डाल कर बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट को हजार शिकायत करने पर भी कुछ नहीं हो सका है।

यह जो कानून बन रहा है कम से कम इस से एक बात तो होगी कि हमारी स्टेट्स के मिनिस्टर्स जो हावी हो जाते हैं छोटे छोटे अप्रॉक्स पर और मुकदमे नहीं चलने देते वे कम से कम इस से दब सकेंगे। इस दृष्टि से मैं इस का स्वागत करता हूँ। (2)

इस बिल के एकट बन जाने से जिन जिन धादमियों ने, जिन जिन कर्मचारियों ने जिन जिन मैनेजिंग डायरेक्टरों ने, जिन जिन लोगों ने मैनेजिंग एजेंट बन कर रुपया लोगों का गबन किया हुआ है, उन की जेबों से वह रुपया निकलवाने की कोशिश रिजर्व बैंक के जरिये से हो सकेगी।

यह बात जरूर है कि कोऑपरेटिव बैंकिंग को बड़ा प्रोत्साहन मिलना चाहिये खास कर आज के जमाने में। रिजर्व बैंक की तरफ से बहुत सी रुकावटें आई हैं। किसी धादमी को पैसा चाहिये निजी काम के वास्ते तो रिजर्व बैंक से उस को वह सहायता नहीं मिलती है और न ही हमारे आज के स्टेट बैंक से और सैव्यूल्ड बैंक से मिल सकती है क्योंकि उन पर रिजर्व बैंक का कंट्रोल बहुत ज्यादा है। इसलिये कोऑपरेटिव बैंक्स की जरूरत से कोई इन्कार नहीं कर सकता है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज की भी अब व्याख्या बैंकिंग में हो गई है। उन के कार्यकर्ताओं ने स्वतन्त्रतापूर्वक, मन माने ढंग से लोगों का बहुत सा पैसा हड़प लिया था और इस तरह से मुल्क को बड़ा नुकसान पहुँ-

चाया था। ऐसी ऐसी मिसालें मेरे देखने में आई हैं कि चलते चलते मैनेजिंग डायरेक्टर हुकूम दे रहे हैं कि दो सौ रुपया इस को दे दो, पांच सौ इस को दे दो, एक हजार इस को दो और दस्तखत बाद में कर देंगे। इस तरह से जब तीस चालीस हजार का गबन हो जाता था तब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती थी। रजिस्ट्रार बेचारे ने कोशिश की कि मैनेजिंग डायरेक्टर को किसी तरह से मैं पकड़वाऊँ। उस ने जांच की और बाद में रिपोर्ट की। उस के बाद ग्रांडर धाया कि इस को मुफ्तिल किया जाए। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर की तो पहुंच बहुत दूर तक थी। वह जा कर मिनिस्टर से ग्रांडर ले धाया कि यह नहीं हो सकता है और इस को वापिस रखा जाए। 40-50 हजार का गबन करने वाला, 1-2 लाख का गबन करने वाला बार बार ग्रांडर ले कर धाता है इस तरह से। एक तरफ तो मिनिस्टर का ग्रांडर होता है इस तरह का और दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी का, उच्च अधिकारी का, ग्रांडर होता है कि इस को वहां से मुफ्तिल किया जाए, इस के पास से इस काम को छीन लिया जाए। इस तरह से दो दो ग्रांडर होते हैं। ये दो दो ग्रांडर कौन से कानून से चलते हैं, समझ में नहीं आता है। इस तरह की बातें एक इलाके में घटित नहीं होती हैं, एक जिले में घटित नहीं होती हैं, कई जिलों में इस तरह की बातें होती हैं, कई जिलों में इस तरह की खराबियाँ होती हैं। मैं जरूर इस बिल को हृदय से वैलुम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि बेईमान धादमियों की भ्रम को दुरुस्त करने के लिये अगर इस को इस्तेमाल किया जायेगा तो सर्वत्र इस का स्वागत होगा। इस के जरिये से गम्ना पैदा हो सकता है अगर हमारी गवर्नमेंट पैदा करने की कोशिश करे तो। कम से कम इतना सौभाग्य हमारा जरूर है और इतना हम प्रबन्ध कह सकते हैं कि हमारे केन्द्र के मंत्रियों में ऐसे धादमी नहीं हैं जो कि इस तरह के बेईमान धादमियों को गह दें। लेकिन ये भी बोझ बहुत दब जाने है। मैं प्रार्थना करता कि भविष्य में इस तरह से

[श्री उ० मू त्रिवेदी]

इस तरह के बेईमान घादमियों से ये न दबें और ऐसे काम बिल्कुल न करें जिससे हमें इन को उलाहना देने का मौका मिले कि जो कानून बनाया गया है उस पर अमल सुचारु रूप से नहीं किया जा रहा है। इस पर अमल सुचारु रूप से किया जाए, इतनी विनती मैं आप से जरूर करूंगा।

बैठने से पहले मैं एक बात की तरफ आप का ध्यान जरूर दिलाना चाहूंगा। कई कानून बनाते समय ऐसी गलत आप से हो जाती है और इस में भी हो गई है। कभी ऐसी गलती की जाती है, समझ में नहीं आता है। इसकी दफा 1 सब-सेक्शन 2 में लिखा हुआ है—

It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this Act.

मैं ने अपने कानून के अध्याय के दौरान और इस में भी देखा है कि इस तरह लिख देने से गवर्नमेंट एक गलती करती है जिस से लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। कानून तो बना दिया लेकिन बाद में मिनिस्टर साहब भूल जाते हैं, इस को अमल में भी लाना है। अमल में नहीं आता है।

श्री ब० रा० भगत : भूल कैसे जायेंगे।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : भूल गए हैं। अभी मैं आप को बताता हूँ। जितनी चाहें मैं आप को इस की मिसाल दे सकता हूँ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (परभणी) : फारेन एक्सचेंज रेग्युलेशन एमेंडमेंट बिल एनफोर्स नहीं हुआ है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मैं बहुत सी दूसरी मिसालें दे सकता हूँ। आप ने पार्टनरशिप

एक्ट में लिखा है कि फलां तारीख से दफा 69 अमल में आएगी और वह तारीख गजट में डाली जाएगी। आप ने गजट में तो यह डाल दिया कि यह दफा फलां दिन अमल में आएगी, लेकिन इस की फलां फलां जो बातें हैं वे तब तक अमल में नहीं आयेंगी जब तक प्रेस्क्राइब्ड रूलज और प्रेस्क्राइब्ड फार्म्स नहीं बनेंगे। ये फार्म तो बने नहीं और दफा 69 अमल में आ गई। इस का नतीजा यह हुआ कि बेचारे दुनिया वाले सोचते रहे कि रजिस्टर्ड पार्टनरशिप नहीं है और इस के साथ जो हमारा सौदा हुआ उस का पैसा हमें चुकाना नहीं है और वे मुकदमा लड़ते रहे। इस पर हाई कोर्ट ने तय किया कि गवर्नमेंट की गलती है, इस ने रूलज बनाये हैं फार्म नहीं बनाये और रुपया चुकाओ। इस तरह के एक नहीं अनेकों उदाहरण मैं दे सकता हूँ जिन में गवर्नमेंट भूल गई है उस को पब्लिश करना।

श्री ब० रा० भगत : इस में भूल नहीं है . . . . .

श्री उ० मू० त्रिवेदी : जानबूझ कर अगर आप भूलते हैं तो मैं चाहता हूँ कि जान बूझ कर भी आप न भूलें। क्यों आप ऐसी बातें रखते हैं जो संदिग्ध हों और भविष्य में होने वाली बातें हों। इस के बजाये आप क्यों नहीं कह देते हैं।

It shall come into force on the date on which it receives the assent of the President.

ऐसी एक बात इस में लिख देना ज्यादा अच्छा होगा। भविष्य में भी जब आप कानून बनायें तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन में यह लिख दें कि जैसे ही वह कानून बने, वैसे ही उस पर अमल शुरू हो जाएगा।

Mr. Deputy-Speaker: Shri Shree Narayan Das.

श्री हुकम खन्व कछवाय : मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूँ। इस समय हाउस में कोरम

नहीं है। माननीय सदस्य बहुत थक गए, मालूम देते हैं। मैं चाहता हूँ कि सदन की कार्रवाई को एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया जाए।

**Mr. Deputy-Speaker:** The Bill is being rung..

There is quorum now. It is very awkward to ring the bell. This is the fourth time I have had to ring the bell. I shall have to adjourn the House if there is no quorum. I would request the Government Whip to maintain quorum in the House.

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) :

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी समितियों के बैंकिंग के कारोबार को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया और बैंकिंग कम्पनीज एक्ट में मंशोधन करने वाला जो विधेयक उपस्थित हुआ है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूँ। यही बात सभी को मालूम है कि अगर देश में वास्तविक सृद्धि लानी है और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के संघर्ष को कम करना है तो सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा मिलना चाहिये और इसी उद्देश्य से सरकार काम भी कर रही है। लेकिन जैसा कि अभी माननीय मंत्री महोदय के भाषण से पता चला सहकारी आन्दोलन कुछ प्रदेशों में तो बहुत आगे बढ़ा हुआ है और वहाँ की कोऑपरेटिव सोसायटीज और कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं लेकिन दूसरी जगहों में विशेष कर पूर्वी भारत में बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर सहकारी आन्दोलन विशेष प्रगति नहीं कर सका है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने प्रोपोजे ऐग्रिकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट्स खोल कर इस आन्दोलन को बढ़ावा देने के बहुत से प्रयत्न किये हैं लेकिन उस को जितना बढ़ावा देने गिने प्रदेशों में मिला है

उतना बढ़ावा पूर्वी क्षेत्र में जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनमें नहीं मिला है।

इस मोके पर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकषिप्त करना चाहूँगा कि जो पिछड़े इलाके हैं उन में कोऑपरेटिव आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिये कुछ सक्रिय कदम उठाये जाने चाहियें और रिजर्व बैंक आफ इंडिया को और भी मुस्तीदी से कार्य करना चाहिये।

श्री ब० रा० भगत : हम सोच रहे हैं।

श्री श्रीनारायण दास : दूसरी बात मैं इस के सम्बन्ध में यह कहना चाहूँगा कि कोऑपरेटिव सोसायटीज के जो बैंकिंग के कारोबार हैं उन को जो कामर्शल बैंक्स हैं उन के साथ नियंत्रित करने का निश्चय इस विधेयक के द्वारा किया जा रहा है। यह बात सभी जानते हैं कि जिम प्रदेश में भी कोऑपरेटिव आन्दोलन सक्रिय है और मजबूत है वहाँ भी कामर्शल बैंक के मुकाबले में कोऑपरेटिव बैंक जीते हैं वह कम्पिटिशन नहीं कर सकते, प्रतियोगिता में नहीं पड़ सकते। इसलिये जरूरी है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया जो भी नियंत्रण कोऑपरेटिव बैंक और कामर्शल बैंक का करे वह इस दृष्टि से करे कि कोऑपरेटिव बैंक इस प्रतियोगिता में पिछड़ न जायें। कोऑपरेटिव बैंक के साथ ठीक उसी स्तर पर व्यवहार नहीं करना चाहिये जैसे कामर्शल बैंक के साथ किया जाता है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया का जो ऐग्रिकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट है उसकी राय से ही कोऑपरेटिव बैंक का नियंत्रण होना चाहिये। अगर ऐसा नहीं होगा तो बैंकिंग कम्पनी एक्ट और रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट के लागू होने से जब अन्य प्रकार के नियंत्रण आ जायेंगे तो कामर्शल बैंक के मुकाबले कोऑपरेटिव बैंक पिछड़ जायेगा।

मैं एक बात की तरफ आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस विधेयक के पास

[श्री श्री नारायण दाम]

हो जाने के बाद कोऑपरेटिव बैंक को अपनी शाखा खोलने के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी और नियंत्रण में आने से कोऑपरेटिव बैंक को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर सहानुभूति पूर्वक रिजर्व बैंक आफ इंडिया इस बात पर विचार नहीं करेगा और वह अपने सामने इस बात को नहीं रखेगा कि बमुकामले कामर्शल बैंक के सहकारी बैंक की शाखा देहात में खुलनी चाहिये तो कोऑपरेटिव बैंक की शाखा खुलने में कठिनाई होगी। अगर कोऑपरेटिव बैंक और कामर्शल बैंक को एक स्तर पर रख कर व्यवहार किया जायेगा तो कोऑपरेटिव बैंक प्रतियोगिता में पिछड़ जायेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि बैंकिंग कम्पनी ऐक्ट और रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट को सहकारी समितियों पर लागू किया जा रहा है लेकिन एक विशेष कानून जो इन्श्योरेस आफ डिपॉजिट्स ऐक्ट है, जिस के जरिये से डिपॉजिट को इन्श्योर किया गया था, अगर उसे कोऑपरेटिव बैंक के साथ लागू नहीं किया गया तो मैं समझता हूँ कि कामर्शल बैंक के साथ प्रतियोगिता में कोऑपरेटिव बैंक भी पिछड़ता चला जायेगा। जब बैंकिंग कम्पनी ऐक्ट और रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट में अमेंडमेंट किया जा रहा है तब इन्श्योरेस आफ डिपॉजिट्स ऐक्ट में, जो कि हाल में पास हुआ था, संशोधन क्यों नहीं किया जा रहा है ताकि वह कानून कोऑपरेटिव सोसायटीज पर भी लागू हो जाये। जहां तक मुझे मालूम है ऐंथ्रॉक्लर मिनिस्टर्स का जब सम्मेलन हुआ था तब रिजर्व बैंक आफ इंडिया के गवर्नर ने बतलाया था कि जब इस बात की शुरुआत हुई थी कि इस तरह का विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जायेगा तो इस बात पर विचार किया गया था और कहा गया था कि इन्श्योरेस आफ डिपॉजिट्स ऐक्ट में

भी अमेंडमेंट किया जायेगा ताकि वह कोऑपरेटिव सोसायटी पर भी लागू किया जा सके। लेकिन यह संशोधन करने वाला जो विधेयक है उस में हम इस बात को नहीं पाते हैं।

जैसा कई माननीय सदस्यों ने बतलाया है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को रिजर्व बैंक आफ इंडिया रेगुलेट जरूर करता है और हर प्रकार की सहायता करता है। देहातों में जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटीज हैं और दूसरी प्रकार की सोसायटीज हैं उनको वह हर प्रकार से सहायता देता है और इस काम में रिजर्व बैंक आफ इंडिया और स्टेट बैंक बहुत कम दर पर उनको रुपया ऐडवांस करते हैं लेकिन जैसा कई माननीय सदस्यों ने बतलाया रिजर्व बैंक आफ इंडिया तो 2 प्रतिशत प्रति वर्ष मूद पर कोऑपरेटिव बैंक को रुपया ऐडवांस करता है मगर देहात की सोसायटियों को वह 8.9, 10 और 12 परसेंट तक पर मिलता है। कई बार इस सदन में यह सवाल उठाया गया कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया और सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिये और देहात की सोसायटियों को या देहात में जो कोऑपरेटिव सोसायटी के मम्बर हैं उन्हें मूद की दर कम देनी पड़े इस पर नियंत्रण होना चाहिये, लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया।

एक और चीज जिसकी तरफ मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ वह यह है कि इस कानून के पास हो जाने के बाद से रिजर्व बैंक आफ इंडिया को यह अधिकार होगा कि समय समय पर अगर वह मुताबिक समझे तो वह कोऑपरेटिव सोसायटी का नियंत्रण और डाइरेक्शन कर सकता है। यदि कोई कानून पास हो गया तो

जिस तरह से उसे कमर्शल बैंक पर अधिकार है उसी तरह से कोऑपरेटिव बैंक पर भी अधिकार होगा। लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने कमर्शल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के इस कानून के पास हो जाने के बाद एक नज़र से देखा और कोऑपरेटिव बैंक के साथ एक विशेष प्रकार का व्यवहार न किया तो जैसा मैंने आपसे कहा, कमर्शल बैंक के मुकाबले में कोऑपरेटिव बैंक पिछड़ जायेगा और जो सहायता उसे मिलना चाहिये वह नहीं मिलेगा। इसलिये इस बात का यकीन होना चाहिये कि रिजर्व बैंक अपने अधिकार का प्रयोग जो विशेषज्ञ और देहाती क्षेत्र में काम करने वाले हैं या उनसे सम्बन्ध रखने वाले जो ऐग्रिकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट्स हैं उनसे राय लेकर ही करेगा।

इन शब्दों के साथ मैंने जो थोड़े से मुझाव दिये हैं उनके सम्बन्ध में विशेषकर यह कहूँगा कि अगर इंग्लैंड में आफ डिपॉजिट्स ऐक्ट में मणोधन हो जाता तो कोऑपरेटिव सोसायटीज और डिपॉजिट करने वाले जो लोग हैं वे अपने को सुरक्षित समझने और ज्यादा रुपया डिपॉजिट हो सकता। अगर ऐसा नहीं किया गया और जो कामर्शल बैंक हैं उनके साथ जैसा व्यवहार किया जाता है अगर वैसा ही व्यवहार कोऑपरेटिव बैंक के साथ किया गया तो कोऑपरेटिव बैंक पिछड़ जायेगा, और जो उद्देश्य सहाकारी आन्दोलन को बढ़ावा देने का है उसके बदले में उन्हें हतोन्माह किया जायेगा। इसलिये मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब इस कानून को लागू किया जाये तो कोऑपरेटिव सोसायटी के साथ वैसा ही व्यवहार हो जाय कि कोऑपरेटिव आन्दोलन को मार देना में व्यापक रूप में फैला सके।

श्री बि० सि० चौधरी (मथुरा) :

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और मैं ठीक भी समझता हूँ कि कुछ ऐसे कानून बनें जिनसे नियंत्रण किया जाये। लेकिन साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कानून बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कानून व्यावहारिक है या नहीं। जहाँ तक रिजर्व बैंक का सम्बन्ध है उसकी नियम पर मैं शक नहीं करना चाहता लेकिन उसके कानून इस तरह के बने हुए हैं कि व्यावहारिक नहीं है। आप कानून नियंत्रण के लिये बनाना चाहते हैं, बनायें। लेकिन आप को इस बात पर भी विचार करना है कि सहाकारी आन्दोलन को कैसे बढ़ाया जाये। अभी आपका नियंत्रण उतना नहीं है, लेकिन अगर आप आसाम जाकर देखें तो वहाँ के जितने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो बकायादार न हो सब का सब काम ठप्प हो जाता है। आप देखें कि जो वर्तमान नियंत्रण है उसके कारण हम इस स्थिति में हैं, तो जब और ज्यादा नियंत्रण होगा तो क्या होगा।

मैं ने कई दफा, अनेक स्थानों पर इस बात को कहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सहाकारिता आन्दोलन को बढ़ाने के लिए जो कुछ होना चाहिए उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे इस सम्बन्ध में बात करूँ तो वह निर्णय कर सके। रिजर्व बैंक से कहता हूँ तो वह कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कहो, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहता हूँ तो वह कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट से कहो, प्लानिंग कमिशन से कहो। कहने का मतलब यह है कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो इस सम्बन्ध में कोई व्यावहारिक बात कर सके या निर्णय कर सके।

मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहता हूँ। केवल कानून बनाने से फायदा

[श्री दि० सि० चौधरी]

नहीं होगा। फायदा तब होगा जब आप देखें कि यह काम कैसे वास्तव में बढ़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि रिजर्व बैंक के जो अधिकारी हैं उनमें से अधिकतर को इस सहकारी कार्य से सहानुभूति न रही हो। इस कारण काम ठीक नहीं हो रहा हो जो कानून बनाया जाए वह व्यावहारिक होना चाहिए। मैं ने यह बात अपने पहले प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू से कही, कांग्रेस के सेशन में दुर्गापुर में कही, प्लानिंग कमीशन से कही और जो मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं उन से कही कि ऐसे नियम या कानून न बनाए जायें कि जिन के कारण फर्जी काम हो। इस सम्बन्ध में मैं आप सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। हमारे देश में किसान को ऋण देने से पहले के वक्त उसकी उत्पादन योजना बनायी जाती है, जहां पैकेज स्कीम लागू है वहां ऐसा किया जाता है, और अन्य स्थानों पर भी किया जाता है। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान के किसी किसान को यह पता नहीं है कि उसकी उत्पादन योजना क्या है। इस प्रकार फर्जी बातें होती हैं। मैं कहता हूं कि ऐसा न किया जाए बल्कि व्यावहारिक तरीके से काम किया जाए। मेरा निवेदन है कि आप ऐसे कानून बनाएं कि जिनके द्वारा जिला स्तर के बैंकों, केन्द्रीय बैंकों या प्रदेश के स्तर के जो बैंक हैं उन पर नियंत्रण हो और उन में गड़बड़ न होने पाए। अगर आप ऐसे कानून बनायेंगे तो सफलता मिलेगी।

मैं आपसे निवेदन करूँ कि रिजर्व बैंक का यह कानून है कि जिस बैंक की वसूली 80 प्रतिशत से कम हो उसको क्लास ए से क्लास बी में कर दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि जो आदमी करोड़ से काम करता है अगर उसकी वसूली 79 लाख होती है तो वह यह कोशिश करता है कि यह किसी तरह 80 लाख हो जाए। ऐसा

नहीं होता तो उसको दर्जा कम कर दिया जाता है और कर्जा कम दिया जाता है और यह कर्जा अगले वर्ष में कम किया जाता है, जब कि उस का काम सुधर चुका होता है। तो इस प्रकार की अव्यावहारिक बातें न होनी चाहिए।

मैं निवेदन करूँ, और मैं ने इस मुद्दाव को उच्च स्तर तक पहुँचाया था, कि बहुत से किसानों पर स्थायी कर्जा हो गया है उसे वे चुका नहीं पाते। मेरा मुद्दाव है कि इस कर्ज को मध्य कालीन या दीर्घ कालीन कर दिया जाए ताकि वह दे सकें। लेकिन कहा जाता है कि अगर कर्जा वसूल न होगा तो यह कारंवाई फर्जी होगी। लेकिन होता यह है कि किसान साहूकार से पांच प्रतिशत पर आठ दिन के लिए रुपया ले कर जमा कर देता है और फिर कर्जा ले कर उसको वापस कर देता है अगर कोई किसान अपने खाने के लिए गल्ला रखना चाहता है और गल्ला के रूप में कर्जा नहीं दे सकता तो उसको गल्ला देने के लिए मजबूर किया जाता है और अगर वह मार्केटिंग सोसाइटी के अधिकारी को पांच रुपया देकर, खरीदा और बेचा लिखा लेता है तो उसको ठीक समझा जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि उसको पांच परसेंट मार्केटिंग सोसाइटी को देना होता है और पांच परसेंट बोहरे को देना होता है। और इसका असर उस किसान के बजट पर पड़ता है। वह और किसी मद में तो खर्च कम कर नहीं सकता लेकिन वह उत्पादन के खर्च में कमी कर देता है जिससे उत्पादन कम हो जाता है, और इस तरह से आपकी योजना उत्पादन बढ़ाने वाला न होकर उत्पादन घटाऊ योजना हो जाती है। तो मेरा निवेदन है कि आप सोचें कि इस काम को कैसे व्यावहारिक तरीके से चलाया जाए।

मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं। एक किसान जिसको 100 रुपया कर्जा देना

है वह 6 मन गेहूं 20 रुपया मन में बेच कर कर्जा दे देता है, उसका दूसरा साथी मारकेटिंग सोसाइटी को 6 रुपया दे कर बेचा लिखा लेता है और गल्ला नहीं देता। फिर प्रकृतबर में जब पहले किसान को गेहूं की आवश्यकता होती है तो उसको वह 40 रुपया मन में खरीदना पड़ता है और इस तरह उसको 120 रुपए का नुक्सान होता है जब कि उसके साथी को केवल 6 रुपया खर्च करना पड़ता है। मैं अर्थशास्त्रियों से पूछना चाहता हूँ कि कौनसा किसान ठीक है।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूँ। हमारा दुर्भाग्य यह है कि सहकारिता के सम्बन्ध में कोई कानून बनता है तो जो सरकारी कर्मचारी मंत्री महोदय के सामने रख देते हैं वह उसी पर दम्नखत कर देते हैं और उसको यहाँ पेश कर दिया जाता है, और हम चाहे उस पर जो कुछ भी कहें होता वही है जो सरकारी कर्मचारी चाहते हैं। कोई हमारी बात नहीं सुनता। तो मेरा निवेदन है कि हमको व्यावहारिक दृष्टि से विचार करके ही कानून बनाने चाहिए नहीं तो उन से लाभ नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि सख्ती की जाए लेकिन जो काम किया जाय वह व्यावहारिक होना चाहिए। उस काम को इस तरह किया जाए ताकि मूवमेंट आगे बढ़ सके।

एक और निवेदन है। यह जो एक लाख शेयर कैपिटल रखा गया है, यह बहुत कम है। मेरे जिले में 17 लाख साइज सोसाइटियाँ हैं जिनका शेयर कैपिटल एक लाख से ज्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि उनका रुपया और कामों में लगे तो इसमें यह संशोधन होना चाहिए जो जिला स्तर के बैंक हैं उन्हीं पर यह कानून लागू हो। कहीं ऐसा न हो कि सब पर यह कानून लगा कर कोऑपरेटिव ग्रान्दोलन को खत्म कर दिया जाए। अगर आप इस ग्रान्दोलन को खत्म करना चाहते हैं तब तो मुझे कुछ ऐसा नहीं कहना, लेकिन

अगर आप चाहते हैं कि यह बड़े और देश की तरक्की हो और देश का उत्पादन बढ़े, तो आपको व्यावहारिक कानून बनाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कानून रख दिए जाएं और उनको बिना पूरा प्रच्छेदी तरह से विचार हुए पास कर दिया जाए।

मैं फिर यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता कि जिस से यह बातें कहूँ और जो इन पर निर्णय ले सके। जिसमें कहता हूँ वह सुन कर चुप हो जाता है। हो सकता है कि ये बातें सुनी जाएं, लेकिन उस समय तक ऐसी स्थिति आ जाए कि उसका इलाज न हो सके।

कहा जाता है कि सहकारी ग्रान्दोलन में कमी है, और रिजर्व बैंक के कर्मचारी योग्य हैं। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि जिन परिस्थितियों में आज किसान इतना उत्पादन कर रहा है, अगर उन परिस्थितियों में रिजर्व बैंक का बढ़े से बड़ा अधिकारी उतना उत्पादन कर सके तो मैं उसको विशेषज्ञ मानने को तैयार हूँ। केवल प्रच्छेद से प्रच्छेद कानून बना कर रख देने से काम नहीं हो सकता। आपको व्यावहारिक दृष्टि से चलाना होगा तब सफलता मिलेगी।

यह दो तीन बातें मुझको कहनी थीं। मैं अन्त में यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लैंड मारगेज बैंक हैं उनका नाम कुछ प्रदेशों में लैंड डेवलपमेंट बैंक रख दिया गया है। इस नाम को बदल कर इनका नाम लैंड डेवलपमेंट बैंक ही रख दिया जाना चाहिए। और यह कानून केवल जिला स्तर की संस्थाओं तक ही लागू है।

श्री कृ० कृ० वर्मा (मुल्तानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस माननीय सदन के सम्मुख जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसका मैं स्वागत करता हूँ।

सहकारिता ग्रान्दोलन बढ़ाने के लिए तो बहुत से कानून बने, और हम लोग चाहते हैं कि ग्रान्दोलन बढ़े, ताकि अपने देश की उन्नति

[श्री. कुं. कृ० वर्मा]

सुचारु रूप से हो। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इस आन्दोलन में हर तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखलायी पड़ता है। बहुत सी जगह तो जो धन इस में आता है उसका सदुपयोग होने के बजाय उसका गबन होता है। यहां तक कि जितनी सोसाइटियां हैं वे एक न एक रूप में बकायादार दिखलायी पड़ती हैं और वास्तव में देखा जाए तो पता चलेगा कि जो कर्जा सदस्यों को दिया जाता है वह उसे वापस नहीं करते हैं, बल्कि वह फिर दूसरा कर्जा लेने जाते हैं और उसके मिलने पर पहला कर्जा वापस करते हैं। मतलब मेरा यह है कि बजाय इसके कि उनकी आर्थिक दशा इस इन्वेस्टमेंट के जरिए से कुछ अच्छी हो, वे कर्जदार के कर्जदार ही रहते हैं वास्तविक रूप में, और उनकी असली हालत में कोई अन्तर नहीं आता, और उनकी कोई उन्नति या तरक्की नहीं होती है। सहकारिता आन्दोलन में हम लोगों ने यह भी रक्खा है कि जनतांत्रिक प्रणाली का वहां पर प्रयोग होगा और चुनाव होगा। लेकिन वह चुनाव जो होते हैं वे फर्जी होते हैं। असल बात यह है कि जो सुपरवाइजर या इंस्पेक्टर होता है वह उसके मन्शा अनुसार होता है और उस की नीति के अनुसार वहां पर चुनाव होते हैं। वहां पर बजाय इस के कि जनतंत्र का असली असली प्रयोग हो, होता यह है कि नीकरशाही की मन्शा, नीकरशाही का अंकुश जैसा होता है उस के मुताबिक वहां पर वह चुनाव होते हैं और जो सुपरवाइजर या निम्न वर्ग के और लोग होते हैं वे इसी फेर में रहते हैं कि बैंक का रुपया हो, सोसाइटी का रुपया हो, किसी तरीके से उसमें फर्जी हिसाब किताब लिख कर किस तरह से उस में गबन कर और उसमें से खावें।

यह तो बड़ी अच्छी बात है जो यह विधेयक लाया गया है ताकि रिजर्व बैंक का नियन्त्रण इन सब बातों पर हो सके। लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि वास्तव में अगर नियन्त्रण

करना है तो रिजर्व बैंक के लिए जो हम अधिकार दे रहे हैं उस का सही सही प्रयोग हो उस का विस्तार ठिकाने से हो ताकि यह जो चारों तरफ गबन और फर्जी कार्यवाही और भ्रष्टाचार इस हमारे सरकारी आन्दोलन में फैला हुआ है उसका निराकरण हो सके और यह मिट सके वरना मैं समझता हूं कि सहकारिता आन्दोलन कहने के लिए ही सिर्फ रह जायेगा कि वह हमारा आन्दोलन बढ़ रहा है। उस के बढ़ने का जो असली रूप है वह बढ़ नहीं रहा है बल्कि वह उल्टे एक भ्रष्टाचार की समितियां बनी हुई हैं कि किसी तरीके से जो रुपया आये उसका गबन किया जाये। इन शब्दों के साथ जो विधेयक आया है मैं उस का स्वागत करता हूं।

श्री ब० रा० भगत : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े हृष की बात है कि सभी माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का जोरदार समर्थन किया है। जैसा मैं ने शुरू में कहा था इस विधेयक को सभा में पेश करते हुए बड़ी खूश होती है। क्योंकि इसमें जितना गैर अधिकारों सहयोग सहकारिता आन्दोलन का जो नेतृत्व है इसमें उस का पूरा समर्थन है। इस में प्रोफेसर डी० आर० गाडगिल जिनकी इस में बहुत दिलचस्पी है और जो कि कोऑपरेटिव्स की फेडरेशन के चेयरमैन हैं उनका भी पूरा समर्थन है और अभी तक उन्हीं अंशों को हमने लागू किया है जिनमें कि राज्य सरकारों की पूरी सहमति है। हमारा इरादा यह है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस को भी हम तय करें। इसके लिए चारों तरफ से कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि हम उस पर भी आगे बढ़ें। इस के लिए राज्य सरकारों से हम विचार कर के और उनकी सहमति ले कर हम उस में भी आगे बढ़ेंगे ताकि सहकारिता आन्दोलन और खास कर के जो हमारा प्रमाण आर्थिक तंत्र है जिसमें



कजें की या प्रोसैसिंग इंडस्ट्रीज की या बैंकिंग की जिसके कि आंकड़े हम ने दिये अभी उसका डाइमेंशन, उसका अनुपात कितना बढ़ गया है उस को हम मजबूत बना सकें। पिछले दिनों आपको याद होगा जब ज्वाण्ट स्टॉक कमर्शियल बैंकिंग में कमी आई, पलाई बैंक दिवालिया हुआ तो हमने बैंकिंग को मजबूत करने के लिए उसमें यह जिपाजिट इश्योरेंस लाकर बैंकिंग के तंत्र को मजबूत किया ताकि छोटे या बड़े जो धक्के आये उससे हम बैंकिंग को बचा सकें और उस की जड़ मजबूत कर सकें। इसी तरीके ने कोऑपरेटिव बैंक का भी अब इतना विस्तार हो गया है। जैसा कि मैंने कहा कि देश के पूर्वी भाग में जो पांच राज्य हैं जहां कि कोऑपरेटिव बैंकिंग या कोऑपरेटिव मूव-मेंट अभी अच्छे तरीके से फैला नहीं है वहां भी हम दूसरे उपायों से गांवों में खेती के लिए और गांवों की तरक्की के लिए और उत्पादन के लिए हम उनके वास्ते कजें की व्यवस्था करने जा रहे हैं। उन भागों में जहां कि कोऑपरेटिव बनी हुई हैं और काफी परिमाण में सहकारी बैंक्स मिलते हैं उनको मजबूत करने का यह जरिया था जिसको कि हमने अभी किया है और आगे राज्य सरकारों की मदद से डिपाजिट इश्योरेंस को लाकर भी हम उसे आगे बढ़ायेंगे। यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे इस देश के सहकारिता आन्दोलन से जो भी सम्बन्धित है सरकारी अथवा गैर सरकारी सभी राज्यों के लोगों का हमें पूरा समर्थन प्राप्त हो रहा है। यह बड़ी खुशी की बात है कि पार्लियामेंट के सभी सदस्यों की इस में पूरी पूरी दिलचस्पी है और पूरा पूरा समर्थन उनका प्राप्त है। इस से पता चलता है कि सहकारिता का भविष्य उज्ज्वल है। उस को हम मजबूती से और सही तरीके से रखना चाहते हैं ताकि वह आगे बढ़े और उसी तरीके से जो सारी सभा की मांग है उसको हम पूरा कर पायेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने एक दो बातों की ओर ध्यान दिलाया है। उन पर हम

विचार करेंगे। खास तौर से एक बात जो हमारे श्री गौरी शंकर कक्कड़ ने कही कि इस विधेयक की धारा 19 में जो नियन्त्रण सोचा गया है उस से कठिनाई उत्पन्न हो सकती है या कुछ लोगों को खिन्नता आ सकती है, मैं उन को यह बतलाना चाहता हूं कि उनका जो यह डर है वह सही नहीं है क्योंकि यह बात कि कोऑपरेटिव बैंक दूसरी संस्थाओं में चाहे वह कोऑपरेटिव स्पनिंग मिल हो या प्रोसैसिंग की दूसरी सोमाइटी हो या को-ऑपरेटिव शुगर मिल हो उस में वह उनके शेयरों को ले सकेगा या नहीं ले सकेगा एक परिमाण में इस बात पर पहले भी काफ़ी बहस हो चुकी है और जो स्टैंडिंग ऐडवाइजरी कमेटी है उस में भी इस बात पर काफ़ी अच्छे तरीके से विचार हो चुका है और यह सब लोग मानते हैं कि एक मजबूत बैंकिंग का यह माना हुआ सिद्धान्त है कि बैंक कम समय के लिए तो रुपया लेता है डिपाजिट्स के रूप में और उस को ज्यादा समय के लिए अगर कर्ज के रूप में दे तो बैंकिंग की जड़ कमजोर हो जाती है। जो बात ज्वाण्ट स्टॉक बैंकिंग पर लागू होती है वही बात कोऑपरेटिव बैंकिंग पर भी लागू होती है। इसलिए इस बात को मानते हुए कि कोऑपरेटिव बैंक की गांवों में जो प्रोसैसिंग या स्पनिंग मिल या शुगर मिल हैं हमें उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए हमें उसमें दिव-चस्पी लेनी चाहिए। मगर उसमें हमको एक सीमा भी रखनी है कि उससे आगे हम नहीं जा सकते जिसमें कि कोऑपरेटिव बैंक की जड़ ही कमजोर हो जाय। इसलिए जो बात लोगों की आपस की मान्यता से चलती है चाहे वह ऐडवाइजरी कमेटी में हो या और भी कोऑपरेटिव मूवमेंट में हो, यह बात मानी है कि हर एक सोमाइटी के मन्वकटचड कौंटिल का पांच परसेंट इनवेन्स्ट करा जायगा। किसी भी सोमाइटी का पांच परसेन्ट से ज्यादा नहीं किया जायगा। इसी तरह से एक कोऑपरेटिव बैंक जो उनका अपना फंड है उस के दो परसेन्ट से ज्यादा इनवेन्स्ट न करे। अभी

[श्र ब० रा० भगत]

इस विधेयक की हम इन्हीं बातों को मान्यता दे रहे हैं और कोई ऐसी नई बात नहीं कर रहे हैं जिससे कि दिक्कत पैदा हो। यह मानी हुई बात है कि उनको हम वैधानिक मान्यता दे रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इस में काफ़ी छूट है। उसमें इतनी लचक है कि को-ऑपरेटिव बैंक को अगर वह चाहे कि प्रमोशन के काम में, प्रोत्साहन के कामों में उचित भाग ले सके तो वह बिना किसी भी दिक्कत के भाग ले सकता है।

दूसरी बात यह उठाई गई थी कि डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक अभी अपने ऐरिया में नयी ब्रांचें खोल सकते हैं जबकि दूसरे को-ऑपरेटिव बैंक्स नहीं खोल सकते यह बात सही नहीं है। अभी डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक्स को रिजर्व बैंक से यह परमिशन या अनुमति नहीं चाहिए कि वे ब्रांच खोलें या नहीं। रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब ने कहा था कि अगर डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंकों के प्लानिंग का प्रोग्राम मान्य हो कि वे कहाँ कहाँ ब्रांचें खोलते हैं तो जो दूसरे जायंट स्टॉक बैंक की ब्रांचिज खोलने वाले हैं, उनको देख कर को-ऑर्डिनेशन की बात हो सकती है। मैं समझता हूँ कि उन पर कोई एकावट नहीं है। फिर भी अगर रिजर्व बैंक के सामने यह बात आती है कि को-ऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक का कहाँ कहाँ प्रोग्राम है तो उन के फैलाव में और नई ब्रांचिज खोलने में उन को सुविधा दी जायेगी और एकावट की कोई गुंजायश नहीं होगी।

**Shri Firodia:** Will preference be given to co-operative banks to open branches over Commercial banks?  
15 hrs.

**श्री ब० रा० भगत :** यह बात विधान में तो नहीं आ सकती है, मगर इस समय देश में जो वातावरण है, को-ऑपरेटिव बैंक्स को प्रोत्साहन देने की जो नीति है . . . . .

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** His question was whether preference

will be given to co-operatives in opening branches. He is requesting the House for a specific enactment by which a statutory right on the Reserve Bank will be conferred.

**Shri B. R. Bhagat:** I am attempting an answer.

विधेयक में यह बात नहीं रखी जायेगी कि प्रेफरेंस दिया जाय या नहीं लेकिन इस समय को-ऑपरेटिव बैंक्स को बढ़ावा देने की जो नीति है उस को दृष्टि में रखते हुए उन को उचित प्रोत्साहन जरूर मिलेगा।

को-ऑपरेटिव बैंकों के लिए भी सेम स्टैंडर्ड कायम करने और उन पर भी बैंकिंग कानून को दूसरे बैंकों की तरह ही लागू करने के बारे में कहा गया है। मैं ने शुरू में ही अपने भाषण में यह कहा था कि को-ऑपरेटिव बैंकों की जो जरूरत है उन की जो आवश्यकतायें हैं, काम करने में उन की जो कठिनाइयाँ हैं, उन सब बातों का खयाल रखा जायेगा इस विधेयक को लागू करने में और चलाने में। यह डर और यह भय कि कामशंल बैंकों के साथ जो कड़ाई बरती जाती है वही को-ऑपरेटिव बैंकों के साथ भी होगी और वही दिक्कतें इन के सामने भी आयेंगी बिल्कुल निराधार है और को-ऑपरेटिव बैंकों को काम करने में जो दिक्कतें आती हैं उन का जरूर खयाल रखा जायेगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस बिल में यह पावर क्यों दी गई कि दि डेट विल बि डिसाइडिड बाई नोटिफिकेशन। यह तो मामूली बात है। ऐसे विधेयक को लागू करने में कुछ खास तैयारियों की जरूरत होती है, उस के लिए कुछ खास किस्म के लोग चाहिए इस लिए यह नहीं कहना चाहिए कि अमुक दिन से यह बिल लागू होगा। उस दिन शायद तैयारी पूरी न हो इस लिए थोड़ी सी फ्लैक्सिबिलिटी रखने के लिए पावर बाई नोटिफिकेशन का अधिकार दिया गया है। फारेन एक्सचेंज

का उदाहरण दिया गया है। मगर कभी कभी तैयारी में कुछ समय लग जाता है इस लिए नोटिफिकेशन का पावर दिया जाता है। इस में कोई अनौचित्य नहीं है।

**श्री वे० शि० पाटिल (यवतमाल) :** इस बिल को महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति है या नहीं ?

**श्री ब० रा० भगत :** महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अनुमति है। अभी महाराष्ट्र में स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक की एक कांफ्रेंस हुई थी। उन्होंने भी पूरी मन्जूरी दे दी थी। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने पत्र लिखा था जिस में उन्होंने कुछ बातों की चर्चा की थी। लेकिन वित्त मंत्री ने उनको जवाब दिया है कि जिन बातों को उन्होंने उठाया है उनका इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है। जब उन को यह पत्र मिला तो उन की जितनी दिक्कतें हैं जितने डर हैं, वे सब शान्त हो जायेंगे क्योंकि उनके दिल में जो बातें थीं उन का इस बिल से कोई सरोकार नहीं था और हम ने उन को बिल्कुल संतोषजनक उत्तर दे दिया है।

**श्री दि० सि० चौधरी :** यह भी कहा गया है कि "लैंड मार्गज बैंक" के साथ साथ "लैंड डेवेलपमेंट बैंक" भी रखा जाये क्योंकि कई जगहों पर लैंड मार्गज बैंक लैंड डेवेलपमेंट बैंक कहलाते हैं।

**श्री ब० रा० भगत :** लैंड मार्गज बैंक से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** This is an important measure. It goes to the root of the cooperative movement. I beg to suggest that the time allotted for this Bill should be extended.

**Mr. Deputy-Speaker:** We have finished the debate.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** On clause-by-clause consideration we can take more time.

**Mr. Deputy-Speaker:** There are no amendments.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** The time allotted for clause-by-clause consideration is not dependent on amendments. There are no amendments. It is because the Bill has been taken up by way of surprise. There may be Members who want to offer their remarks on certain clauses.

**Mr. Deputy-Speaker:** If you want to speak on any particular clause, I will allow that.

The question is:

"That the Bill further to amend the Reserve Bank of India Act, 1934 and the Banking Companies Act, 1949 for the purpose of regulating the banking business of certain co-operative societies and for matters connected therewith, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

**Mr. Deputy-Speaker:** We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

**Clause 2— (Amendment of section 2)**

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** Mr. Deputy-Speaker, Sir, this measure which has been brought forward by the hon. Finance Minister has got a laudable object. But my apprehensions are that the Bill, as it is drafted and the enforcement of the Act which is likely to take place will defeat the purpose for which this Bill has been brought forward.

Clause 2 specifically relates to where cooperative banking system in the country is brought in purview of the operation of the Reserve Bank of India Act. In the case of cooperatives, certain minimum financial discipline is essential. Nobody disputes that. In certain cooperatives, there are certain financial practices followed which are not in the interest of either cooperative movement or the growth of banking. That is also not disputed. But the fact of the matter is that co-operative and the normal banking system in

[Shri Shivaji Rao S. Deshmukh]

its origin, in its operation and in its effect on the society, are materially different and, therefore, they call for different financial disciplines and different norms of controls. Taking into consideration this differentiation, it will be suicidal to hand-over cooperatives to the Reserve Bank of India which is normally concerned with the strictest financial discipline without any consideration as to the practices which are called for in a particular sphere of activity.

We have seen that the cooperatives primarily are the formations of associations by cultivators in respect to rural areas and these cooperatives are usually formed with the specific object of meeting, to whatever extent that is possible, the credit requirements of agriculturists. So far the Reserve Bank has placed at the disposal of the State and apex banks certain credits to be distributed through primary cooperatives. The fact is that the Reserve Bank even now extends certain form of financial control over the co-operative movement. This appears to be a notional statutory recognition of the control which the Reserve Bank already enforces. The result of this amendment will be that the cooperatives all over India will be subjected to dual type of control. The cooperatives being formed and registered under the Cooperatives Acts of different States will be governed by the respective Cooperatives Acts, and so far as the financial and banking transactions are concerned, they will be subject to the control of the Reserve Bank and the Reserve Bank of India Act.

What will be the result? There will be an anomalous position. The Reserve Bank wanting a particular course of action to be followed by a particular cooperative under the plea that the cooperative is under the direct control of the Reserve Bank, and the State Governments and the Registrars of Cooperatives and even the lowest officials on the ladder of the Co-operative Department taking a different

view, is bound to result in one contingency, and that contingency is the retarding of the general cooperative movement in the country. I have no doubt in my mind that the purpose behind this Bill appears to be an administrative reply or, if I may be permitted to say so, an executive reply to the oft-repeated demand for the nationalisation of the banking system in the country. I say this because if for the first time the cooperatives are brought under the direct control of the Reserve Bank and the Banking Companies Act in the form in which they have been brought in this Bill, the result will be that cooperatives will be wiped out from the face of this country.

We have seen that banks after banks have been wound up by the Reserve Bank on the decisions of the different High Courts on the plea that they do not follow a particular norm of financial discipline and the result of this has been that the depositors of those banks and the persons who are financially interested in those banks are put to loss. Now, the Reserve Bank, while sitting in Delhi, will go on issuing notifications and orders which they consider to be in the public interest, which will have no bearing on the circumstances existing in the respective States where they expect the all-India financial discipline to be followed.

The further clash of this will be that the Reserve Bank in a fit of the moment will file petition after petition in the High Courts for the winding of the apex, district and central cooperative banks, and I have no doubt in my mind that this is bound to result in only one effect, and that is the cooperative banking system will be wiped out in the country. Nobody on the floor of this House desires this contingency to occur to the cooperative movement. The Reserve Bank, for example, advances credits to the State apex cooperatives at the rate of 2 per cent less than the banking rate.

The Reserve Bank advances, in addition, the rural credit at the rate of 2 per cent. Now, by a cumbersome procedure of distribution of credits, by the time they reach the hand of the cultivator, the interest goes upto 10 per cent. Is the Central Government in a position to assure the cultivator that he will get the rural credit at the same rate of interest and the State Governments concerned will evolve a machinery by which the administrative and certain other charges which will be necessitated by way of such disbursements will be shared on an equal basis or on agreed formula between the Reserve Bank on the one hand and the Central Government on the other hand?

I have no doubt in my mind that this Bill has been brought in not with a view to acquiring any real financial discipline. The real financial discipline requires a certain knowledge of individual financial transactions which are best known only to the auditors that will be under the Cooperative Department. Hence the Reserve Bank here will be guided by not only third-rate reports but the reports beginning at the lowest level of the auditor reaching Delhi under the signature of certain Secretary in the Cooperative Department or certain Registrar of Cooperatives of a State and it is on that basis the Reserve Bank will be acting and, I think, this will be a very weak basis to act upon even in the interest of enforcing rigid financial discipline.

I beg to urge upon the hon. Finance Minister to consider this from this point of view. On the one hand, he has taken over the complete control of the banking practices of co-operatives in the hands of the Reserve Bank and they are subjected to the operation of the Banking Companies Act and at the same time they have been denied the basic security which is normally given to a depositor in a commercial bank. For instance, if a commercial bank is wound up, the depositor of that bank enjoys to a certain extent immunities and pri-

vileges which are due under the Deposit Insurance Corporation Act. The operation of this Act has been kept aloof. Perhaps, this has been kept aloof under the pretext that several State Governments have objected to the operation of this scheme. If the Act provides that certain provisions of the Act would come into force on different dates, I fail to understand the wisdom of leaving aside the operation of the Deposit Insurance Corporation Act by amending the whole statute relating to the cooperatives in the form in which it has been placed before this House.

Therefore, I would beg of the hon. Minister to withdraw this Bill in the form in which he wants this House to consider it now, ask the House for time to come back with necessary amendments by which even the Deposit Insurance Corporation Act will be made applicable to co-operative banks. We had been very anxious to extract certain minimum assurances from the hon. Finance Minister; in return we got only faltering assurances. If necessary, this House should see to it that statutory guarantee is given to the opening of branches of co-operative banks in the rural areas; that is precisely the way in which co-operative rural credit has to be disbursed. Further, if necessary, there should be specific control on the mode of giving rural credits. The rates of interest which are to be charged should be better left to the co-operative departments. The Reserve Bank will satisfy itself by giving such advice as necessary in the interest of financial security.

I further submit for the consideration of this House that we should not in a hurry affect permanently the entire co-operative movement in this country, particularly as the sufferers are going to be 90 per cent of the rural population. To the cultivators, who are even today hard-pressed in certain states like Maharashtra, there are only two ways of securing loans . . .

**Mr. Deputy-Speaker:** Clause 2 is a definition clause. You have not objected to any definition so far.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** This is about the operation of the definition clause. Co-operative banks have been included and subjected to certain conditions . . .

That is why these observations under this clause are material. I do not have anything to say on the specific wording of the definitions, but what I have to say is that the definitions incorporated here are going to have the effect of leaving co-operative banks to the mercy of the Reserve Bank, which will have a nasty effect on the growth of the co-operative movement. That is why I restrict my comments to this particular point. I am not bothered about the way how it is worded, this way or that; what I am concerned with is the fact that the very passing of this Bill will be basically affecting the co-operative structure.

For instance, rural credit today is available in two ways: taccavi loans and loans through co-operatives. In a state like Maharashtra, where taccavi has been completely wiped out, all credits are routed through co-operatives. They will be subjected to certain discipline which may result in credit being denied to the cultivators. So I say that this is not only a wrong exercise of financial discipline, but—I would go further and say—it is a reversal of the Bhubaneswar spirit, because at Bhubaneswar we promised the people of the country that we would allow to the farmers credit on reasonable rates of interest and in enough quantities, which will necessarily have no bearing on credit-worthiness. For instance, are you in a position to assure the cultivator that he will get the necessary credit irrespective of his credit-worthiness? Are you in a position to assure him that he will get credit at the rate of interest that the Reserve Bank is in a position to advance credit to the apex co-operatives? If we are not in a position to answer these questions

satisfactorily and remove these apprehensions in the minds of the people, we have no moral or justifiable right in rushing through with a Bill of this nature offering co-operatives on a platter to be subjected to discipline, which is bound to result only in the wiping out of the co-operative movement in this country and in the vital sphere of agricultural rural credit.

There are instances in this regard. For instance, sugar co-operatives in Maharashtra used to advance loans to its members. But the Reserve Bank took objection to this saying that this is a banking transaction. Obviously, the co-operatives did not advance loans to cultivators on the basis of profit making; they were only fulfilling the basic obligation which they owed to the process of manufacture of sugar. Yet the Reserve Bank took this objection and said that no such loans could be advanced by sugar co-operatives under the respective Sugar Co-operatives Act. It has been on record, that the Reserve Bank, instead of taking due care for expansion of rural credit is satisfied with diminution of it and getting control on whatever credit is advanced to cultivators. This is a contingency which this House does not want to see brought about.

Therefore, I say that even at this stage, the Finance Minister will be doing a distinct service to the nation, and to the co-operative movement in particular, by withdrawing this Bill in this form, and coming forward with a better and more comprehensive Bill at the proper time.

**Shri Firodia:** On a point of clarification about the definitions. On p. 3, it is said:

“primary cooperative bank” means a co-operative society, other than a primary agricultural credit society,—(1) the primary object or principal business of which is the transaction of banking business; (2) the paid-up share capital and reserves of

which are not less than one lakh of rupees; and (3) the by laws of which do not permit admission of any other co-operative society as member."

If there is a bank which fulfils the first two conditions, but not the third, under what category will it fall?

**Shri B. R. Bhagat:** It will not; the second will not apply.

**Shri Firodia:** Will it fall under any other category?

**Shri B. R. Bhagat:** That I cannot say. The second does not apply; it will not fall under this category.

**Shri Firodia:** If there is a bank which has one lakh of rupees reserve, and is doing banking?

**Shri B. R. Bhagat:** It will simply mean that it will not be a co-operative society which does banking. It will be other co-operative society.

**Shri Parashar (Shivpuri):** I want to speak on cl. 2.

**Mr. Deputy-Speaker:** He has no amendment.

**Shri Parashar:** I want to speak generally on the clause.

**Mr. Deputy-Speaker:** There are no amendments.

**Shri Parashar:** I want to oppose this clause.

**Mr. Deputy-Speaker:** Has he objection to any definition?

**Shri Parashar:** I want to speak on it, I want to oppose it.

**Mr. Deputy-Speaker:** All right.

**Shri C. K. Bhattacharyya (Rai-ganj):** On a point of clarification. The hon. Member wants to oppose this clause. He does not want the inclu-

sion of this clause in Bill. Does it come to this that it will be a Bill without definitions?

**Mr. Deputy-Speaker:** That is for him to explain. Are you opposing the inclusion of this clause?

**Shri Parashar:** I am opposing the inclusion of this clause.

उपाध्यक्ष महोदय मैं चाहता हूँ कि यह ऐक्ट पहले जैसा है वैसा ही बना रहे और यह जो क्लॉज जोड़ा जा रहा है वह बिल्कुल निकाल दिया जाये। मैं बिल के इस भाग को अपोज कर रहा हूँ और जो डेफिनिशन बढ़ाया गया है उसे अपोज कर रहा हूँ। उस के कुछ कारण हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** किस डेफिनिशन को अपोज कर रहे हैं यह भी बतला दीजिये।

**श्री पाराशर :** वही मैं बतला रहा हूँ। मैं यह कहने जा रहा हूँ कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने अभी तक इस ऐक्ट के मुताबिक स्टेटस के कुछ अपेक्स बैंक्स और सेंट्रल बैंक के और थोड़ी सी सोसायटीज के कार्य को कंट्रोल किया था। मेरा और सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले साधियों का अनुभव यह रहा है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया के सहयोग से सहकारिता आन्दोलन की कोई वृद्धि नहीं हुई है। बल्कि रिजर्व बैंक के कारण सहकारिता के कार्य में दिन प्रति दिन हमारे सामने कठिनाइयाँ आती हैं। मैं कोई रिजर्व बैंक का विरोध करने की दृष्टि से विरोध नहीं कर रहा हूँ लेकिन अगर सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले बन्धुओं के अनुभव के आधार पर कोई कठिनाइयाँ आती हैं तो मेरा कर्त्तव्य है कि इस सदन के सामने उन्हें पेश करूँ। उदाहरण के तौर पर आप ने देखा होगा जैसा कि इस मैं परिभाषित किया गया है, जो महत्वपूर्ण सोसायटियाँ प्रत्येक जिलों में हैं वह रिजर्व बैंक के कंट्रोल में आयेंगी। जैसे कि इस बिल के प्रावजेंक्टम बतलाये गये हैं, उद्देश्य बतलाये गये हैं, उन से भी प्रतीत होता

[श्री पाराशर]

है कि इस बिल को लाने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह कोई कोऑपरेटिव मूवमेंट की सेवा करना चाहता है, बल्कि इस में लिखा हुआ जो है उसी को मैं बतलाता हूँ। चूँकि स्टेटमेंट आफ फ्रान्चैजट्स ऐंड रीजन्स इंग्लिश में है इस लिये मैं उन को इंग्लिश में ही पढ़ कर बतलाना चाहता हूँ। इन डेफिनिशन्स को लाने का उद्देश्य यह है :

"The deposits and working funds of co-operative banks are now so large that the extension of the more important provisions of the Banking Companies Act, 1949 to these banks will be in the public interest."

मेरा निवेदन यह है कि यदि कोऑपरेटिव बैंकों के फंड्स बहुत बड़े हो गये हैं तो यह बैंकिंग कम्पनीज ऐक्ट की कृपा से नहीं बढ़े हैं। बैंकिंग कम्पनी ऐक्ट का इस प्रकार लागू देने से पब्लिक इंटरेस्ट को कोई लाभ होने वाला नहीं है। हाँ, मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि कोऑपरेटिव सोसायटीज और को-ऑपरेटिव बैंक्स के फंड्स अगर बढ़ सकते हैं तो वह रिजर्व बैंक लाज को या बैंकिंग लाज को लागू करने के बजाय भारतवर्ष में सारे देश के लिये रिजर्व बैंक से कोई सम्बन्ध न रखता हुआ एक बैंक बनाया जाये, इस में बढ़ सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसायटीज का एक राष्ट्रीय बैंक हो और वह देश के भिन्न भिन्न राज्यों के सहकारी बैंकों को फाइनेन्स करे। वही सहकारिता के दृष्टिकोण को पूरी तरह समझ सकेगा और सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले भाइयों की तकलीफ को महसूस कर सकेगा तथा सहकारिता की वृद्धि में सहयोग दे सकेगा।

जहाँ तक रिजर्व बैंक और दूरे कामर्शल बैंक्स के ऋण की बात है, कामर्शल दृष्टिकोण से व्यापारिक दृष्टिकोण से उन का सारा कार्यकलाप होता है। वहाँ सहकारिता को उस

के साथ नत्थी कर देने से अभी तक जो अनुभव हुआ है उस में ज्यादा कड़वा अनुभव होने वाला है।

श्री ब० रा० भगत : नत्थी कहाँ है।

श्री पाराशर : मैं जिस भावना से कह रहा हूँ, जिस दृष्टि से कह रहा हूँ यदि मिनिस्टर महोदय उस का आदर करेंगे तो ज्यादा मुनासिब होगा। मैं कह रहा हूँ और मेरी बहुत सीधी सी बात है और अगर उसे समझने की कोशिश की जाये तो समझा जा सकता है। उन बड़ी बड़ी सोसायटीज को, जिन के सदस्यों ने अपना खून पसीना एक कर के उन पनपाया है, आप व्यापारिक बैंक के नियंत्रण में देना चाहते हैं। इस बिल का निश्चित उद्देश्य यही है। दूसरी कोई चीज नहीं हो सकती। अगर दूसरा उद्देश्य है तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

अभी श्री देशमुख जी ने कहा और दूसरे भाइयों का भी यही कहना है कि यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। यदि हमारे मंत्री महोदय इस पर विचार के लिये कुछ और समय ले लें और हमें विचार करने का मौका दे दें, इस को जल्दी में पाम न करें, तो वे सहकारी आन्दोलन की ज्यादा सेवा करेंगे। मुझे उन से कोई विरोध नहीं है, इस बिल से भी मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि उन के द्वारा जो बिल सदन में लाया जाये वह उस विशेष उद्देश्य की पूर्ति करे जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वे उसे पेश कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि उन को स्वयम् पछताना पड़े कि उन्होंने अपने हाथों से ऐसा बिल रक्खा जो सहकारिता की सेवा करने के बजाय कुछ सेवा कर रहा है।

श्री ब० शि० पाटिल : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को पाम करने के लिए जबदगती जल्दी हो रही है। यह एक ऐसा बिल है जिस का असर जो सहकारी संस्थाएँ हैं उन



पर पड़ता है। शासन और भारत सरकार की जो नीति है वह यह है कि कोऑपरेटिव क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाये। लेकिन एक साल से मैं देख रहा हूँ कि वित्त मंत्री का जो डिपार्टमेंट है उस का काम काज ऐसा है कि वह प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देता है, उन को प्रोत्साहन देता है, उन को कंसेशन देता है। बैंकिंग एक्ट कोऑपरेटिव पर लागू करने से एक बड़ा भय खाम तौर से महाराष्ट्र स्टेट को पैदा हो गया है। जब हम लोग 2 तारीख को महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से मिले थे उस वक्त कोऑपरेटिव के जो मिनिस्टर थे उन से हुई बानचीत से पता लगा कि इस का असर कोऑपरेटिव क्षेत्र पर बुरा हो जायेगा। चीफ मिनिस्टर ने भी कुछ शिकायत की है और ब्राज्जेशन किये थे। उन का उत्तर दे दिया गया। लेकिन वह ब्राज्जेशन बैंक के बैंके कायम है।

इस में क्लाज 2 में प्राइमरी ऐग्रिकल्चर क्रेडिट सोसायटी के बारे में जो दिया गया है और उस के लिए जो कंडिशन रखी गई हैं उन को अगर देखा जाये तो आज हम लोग यह अनुभव करते हैं कि प्राइमरी सोसायटीज और कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक जब किसान को ऋण देते हैं तो वह सम्पत्ति का क्रेडिटवर्दीनिस का ध्यान नहीं रखते हैं। महाराष्ट्र के माननीय सदस्य श्री देशमुख ने बतलाया कि उन की हैमियत क्या है, उन के पाम प्रापर्टी क्या है यह नहीं देखते हैं। वह उत्पादन की सामर्थ्य पर आधारित ऋण देते हैं। बाद में जो मान पैदा होता है, जैसे कि काटन है, काटन पैदा होती है और जब उसे पुरा कर लिया जाता है उस के लिये कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक से कर्जा लिया जाता है। लेकिन रिजर्व बैंक उस पर ब्राज्जेशन लेता है। रिजर्व बैंक कहता है कि आप ने कपास तैयार करने के पहले ऋण लिया है जिस को आप लोन कहते हैं। आप लोन

लेने के बाद, काटन पूरा करने के बाद ऋण लेते हैं। वही लोन लेते हैं। इस तरह से डबल लोन हो जाता है। इस के ऊपर रिजर्व बैंक ब्राज्जेशन करता है कि ऐसा लोन नहीं दिया जा सकता। अगर हमें इस तरह का ऋण मिलना चाहिये तो दूसरी तरह का प्राविजन होना चाहिये। लेकिन आप लोन के नाम से जो लोन दिया जाता है वह जो आप होती है उस के ऊपर दिया जाता है, इसलिए वह आप लोन हो जाता है। ऐसा रिजर्व बैंक का कहना है। एमी कई दिक्कतें इस में आ सकती हैं। ऐसी कई एक्लास की सोसायटीज हैं, जिन पर इस का बहुत बरा असर पड़ेगा। मैं छोटी बातों में नहीं जाता। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि फ़िनांस मिनिस्ट्री में यह भी मालूम नहीं है कि हमारी स्टेट में लैंड डेवलपमेंट बैंक हैं। लेकिन इस बिल में कहीं भी यह बड़े दिखाई नहीं देता है। हर जगह लिखा गया है, "को-ऑपरेटिव लैंड माइंगेज बैंक"। इस नाम की कोई संस्था महाराष्ट्र स्टेट में नहीं है।

श्री ब० रा० भगत : वह एक ही बात है।

श्री बे० शि० पाटिल : अगर कानून को देखा जायेगा, तो उस में तो केवल यह लिखा हुआ है, "नथिंग इन दिस एक्ट शैल एप्लाइ टू को-ऑपरेटिव लैंड माइंगेज बैंक"।

15.32 hrs.

[SHRI KHADILKAR in the Chair]

महाराष्ट्र में कोई को-ऑपरेटिव लैंड माइंगेज बैंक नहीं है। वहां तो को-ऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक है।

श्री ब० रा० भगत : वह लैंड माइंगेज का ही काम करता है।

श्री बे० शि० पाटिल : यह तो माननीय मंत्री का स्पष्टीकरण है।

**श्री ब० रा० भगत :** कानून के लोग कहते हैं कि अगर कोई बैंक बड़ी काम करना है, तो शब्द का कोई अर्थ है।

**Shri S. S. More:** Why don't you introduce a proper explanation?

**Dr. M. S. Aney (Nagpur):** He will have to put in the statute itself the wording that he considers to be proper, otherwise, it will give rise to misunderstandings.

**श्री बे० शि० पाटिल :** इसलिए यह आवश्यक है कि "को-ऑपरेटिव लैंड मार्गेंज बैंक" के साथ "को-ऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक" भी रखा जाये। माननीय मंत्री जी ने अपने प्रारम्भिक भाषण में यह आश्वासन दिया था कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसायटी, कोऑपरेटिव लैंड मार्गेंज बैंक और एनी अदर को-ऑपरेटिव सोसायटी को बैंकिंग लाज एप्लाइ नहीं करेंगे। उस से तो यह मालूम होता है कि महाराष्ट्र में जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है, उन को यह कानून एप्लाइ हो जायेगा।

**श्री ब० रा० भगत :** नहीं।

**श्री बे० शि० पाटिल :** ऐसी कई दिक्कतें इस में हैं, जिस से हमारे दिल में बड़ा भय है।

आज साढ़े तीन बजे रूम नम्बर 62 में एक बहुत बड़ी काफ़रेंस हो रही है, जिस में गाडगिल साहब एड्रेस करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह डिस्कशन आध घंटे के लिए पोस्टपोन कर दी जाये और बाद में इस पर विचार किया जाये। इसी विषय पर भारत के सब व्यक्तियों और सब पार्टियों के सदस्यगण की बैठक होने जा रही है। इसलिए इस डिस्कशन को आध घंटे के लिए पोस्टपोन कर दिया जाये, मैं यही प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

**श्री पाराशर :** मंत्री महोदय ने इस बिल को पेश करते हुए यही कहा था कि उन्होंने गाडगिल साहब की सहमति ली है। चकि गाडगिल साहब रूम नम्बर 62 में इस विषय में दिलचस्पी लेने वाले एम० पी० को एड्रेस करने वाले हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस के लिए टाइम दिया जाये।

**Mr. Chairman:** I am sorry I cannot take note of what is happening outside.

**श्री बिशनचन्द्र सेठ (एटा) :** मुझे केवल यही निवेदन करना है कि क्लॉज 2 के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य अभी तक बोले हैं उन के सामने एक चीज नहीं है। महाराष्ट्र के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ परन्तु जहाँ तक सारे देश में को-ऑपरेटिव बैंक्स की आम व्यवस्था का प्रश्न है स्थिति यह है कि रुपया आता नहीं है सिर्फ़ पेपर एन્ટ्री हो जाती है। इस प्रकार सारे का सारा करोड़ों नहीं अरबों रुपया गड़बड़ में पड़ा हुआ है। अगर यह सारा कार्यक्रम रिज़र्व बैंक के अन्तर्गत आ जायेगा तो जनता का वह रुपया सुरक्षित हो जायेगा।

किसी पर्टिकुलर प्राविस में अगर कोई दिक्कत है तो फ़िनांस मिनिस्टर को उस तरफ़ ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोऑपरेटिव बैंक्स में हमारे देश के रुपये का बहुत बरा दुरुपयोग हो रहा है। मैं विशेषतया उत्तर प्रदेश की बात जानता हूँ। इसलिए मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ। अगर यह सब काम रिज़र्व बैंक के अन्तर्गत कर दिया जाये तो देश के रुपये की सुरक्षा रहे। डीटेल्स को देखना मंत्री महोदय का काम है। मुझे तो केवल इतना ही कहना है।

**Shri B. R. Bhagat:** Mr. Chairman, I only wish that the hon. Member who

has started on a different note than the entire House was present when I moved the Bill. I dealt with exactly the fears that he expressed and if he had listened to me . . .

**Shri Shivaji Rao S. Deshmakh:** I spoke after listening to you.

**Shri B. R. Bhagat:** I stand corrected. I have to convince him; I will make an effort. He expressed the fear that it will be an unnecessary interference in the co-operative movement. I think that it is absolutely misplaced. He seems to think that this Bill will go to interfere with the societies. I explained very carefully that this Bill will be concerned only with three types of societies: apex bank, central co-operative banks and the urban co-operative societies with share capital of a lakh. Altogether, their number will not exceed 900. His apprehension that this will restrict the banking operations of primary co-operative societies is misconceived. Probably he knows also that every body who is concerned with co-operation, the State Government, non official leader and others have welcomed this measure and the Members from Maharashtra would like to know that the central co-operative banks met only recently and they had also welcomed this measure. There cannot be greater testimony to the all round support to this Bill than the fact that everybody concerned with the co-operative movement had welcomed this Bill and almost every Member who got up supported it in a full measure. It was said that the Reserve Bank was applying commercial measures. I do not know what is meant by commercial measures. This is a measure in the public interest to strengthen the co-operative banking system. Reference was made to Prof. D. R. Gadgil. He has also lent support to this and in fact he would like to go further and extend the benefit of insurance on deposits to be extended to them. We are in communication with the State Governments. (Inter-  
ventions.)

2148 (A) LSD—7.

**Mr. Chairman:** Order, order. He is not yielding.

**Shri B. R. Bhagat:** We want to carry them with us, I repeat the assurance that we will come back to the House in that connection also to extend the benefits of the deposit insurance scheme to the co-operative sector which will meet the demand of the non-official leadership in the country. He spoke about dual control by the registrar and the Reserve Bank. The primary co-operative societies will be completely outside the purview of this scheme; therefore, there is no dual control. There was the question of the interest of the State Government and their policies and the Reserve Bank working in co-operation. There is complete understanding not only between the Reserve Bank and the Central Government because the policies and interests are the same but also between them and the State Governments. I think the Reserve Bank will follow that policy in carrying the State Governments to the farthest extent in their operation; the question of dual interest or conflict does not arise. So far as this measure goes, this is the first instalment and there is complete agreement among every interest, the State Government, the co-operative movement and non-official leaders. Let him not discourage it by his discordant note—in the House there is complete agreement—because of fears which are misconceived and facts which do not exist. It will strengthen the co-operative movement and will serve the interests of rural areas.

**Shri S. S. More:** I should like to know from the Minister about what Mr. Patel has said. . . .

**Shri B. R. Bhagat:** Land mortgage bank? This question was considered. The land development bank is a recent phenomenon in Maharashtra and an amendment was suggested to cover it in what ever name it may be. The legal advice is that it is not necessary, because land mortgage

[Shri B. R. Bhagat]

banks covers in whatever form it exists, land development bank in Maharashtra and so on. If you put in land development banks by way of explanation, it may include land development banks which are not land mortgage banks.

**Shri D. S. Patel:** About land development banks, I want to move an amendment.

**Shri B. R. Bhagat:** All land development banks may not be land mortgage banks. There is harm in putting it like that; there is no harm in keeping it as it is. This was the legal advice. I am not expert on this .... (Interruptions).

**Shivaji Rao S. Deshmukh:** The land mortgage banks in the rest of the country will be out of the purview and the land development banks in Maharashtra will be subject to control.

**Shri B. R. Bhagat:** As long as they are really land mortgage banks, they will not be.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** Before you put this to the vote, I may read out the proviso to clause 76 of our Rules of Procedure and I move that this Bill be circulated for eliciting public opinion by a specified date.

**Shri B. R. Bhagat:** Even without a formal motion?

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** Yes. At any stage. I beg you to exercise that discretion and authorise to move that motion.

**Mr. Chairman:** He ought to have made that motion before the Bill was taken into consideration—at that time.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** The rule is:

"Provided that if the member incharge of a Bill is unable for

reasons which the Speaker considers adequate, to move the next motion in regard to his Bill at any subsequent stage after introduction, he may authorise another member to move that particular motion with the approval of the Speaker."

I submit this for your approval, and if you consider that the circumstances are such that even at this stage, that motion can be permitted, you may please allow it under the proviso to sub-rule 76.

**Mr. Chairman:** I do not feel that I should take advantage of this provision and use my discretion in order to give you an opportunity to move a motion for circulation. Now, there are no amendments to clause 2.

**Shri C. K. Bhattacharyya:** The Deputy-Speaker had taken clauses 2 to 13 together. (Interruption).

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** No, no. Only clause 2 has been moved.

**Mr. Chairman:** The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 2 was added to the Bill.*

**Mr. Chairman:** Then we take up clause 3.

**Clause 3—** (Amendment of section 10).

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** I want to speak on clause 3. This clause specifically requires that a director of a banking company within the meaning of clause (c) of section 5 of the Banking Companies Act, 1949, or of a co-operative bank shall be excluded from being a representative on the concerned committee of the Reserve Bank. The original purpose for which certain directors

of certain statutory or commercial banks are excluded from being members of the committees and certain authorities under the Reserve Bank is that those who will be exercising the discretion in favour or against a particular bank should not be persons who would be directly or indirectly interested in the bank. Now, it is the normal practice that under the co-operative system of banking and the managing agency system, the persons who are directors of the co-operative bank are those who have no other interest in the particular co-operative bank except the well-being and better management of that bank. I think it will be unjustifiable to insist that a director and the office-bearer of a co-operative company or a co-operative bank should be excluded from being a member of the respective authority simply because he happens to be the office-bearer or director of a co-operative bank. To treat a co-operative bank at par with a commercial bank and to insist on a provision that they will be so debarred is to go contrary to the spirit of co-operation. It is therefore that I say here that not only clause 3 but every statutory provision that is being sought to be made and passed under this Act is going to affect adversely the co-operative movement, and those who have the welfare and the well-being of co-operative movement at heart will not ordinarily abide by it, and they would insist that clause 3 should be deleted from the Bill as it stands.

**Mr. Chairman:** As there are no amendments to clauses 3 to 13—(Interruption)—

**Shri D. S. Patil rose—**

**Mr. Chairman:** . . shall I put all these clauses—clauses 3 to 13—to the vote of the House?

**Shri D. S. Patil:** I want to speak on clause 12.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** There is another objection. In the

parent Act itself, there is no sub-clause (e) to sub-section (1). This substitution presupposes the existence of sub-clause (e) but in section 10 of the parent Act, there is nothing like clause (e).

**Mr. Chairman:** Your submission ought to have been made when there was a general discussion regarding the structure of the Bill. It is now too late.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** On a specific provision of the clause, I can speak.

**Shri Parashar:** I want to speak on clause 3.

**Mr. Chairman:** There is some time-limit for this.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** The time-limit should be extended. This is a very important statute. Please extend the time-limit. Two hours have been allotted to this Bill by the Business Advisory Committee. Obviously, it has not gone deeply into this.

**Shri Parashar:** I want to make my submission in just one minute. In the original section 10 of this Act—the parent Act—there are sub-clauses (a), (b) and (c) under sub-section (1). I have been frantically searching for sub-clauses (d) and (e) but I have not found them. Where is the original clause (e) of sub-section (1), which is sought to be substituted by the present clause (e)? I want to have a clarification from the Minister in charge as to how this clause (e) can come in now. Since there is no clause (e) in the original Act, which is sought to be substituted by the proposed clause (e) of this Bill, this cannot be proceeded with.

**Shri B. R. Bhagat:** There is a different clause which refers to this Bill.

**Mr. Chairman:** I am now putting the question.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** We are discussing clause 3.

**Mr. Chairman:** I have to put clauses 3 to 13 to the vote of the House.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** We are discussing clause 3. The discussion is not yet over. We have to proceed clause by clause. If we have to take them all together, that will preclude hon. Members from taking up every clause separately, every clause that deserves consideration.

**Shri Parashar:** My humble submission is that under clause 3, the lacuna pointed out should be clarified.

**Mr. Chairman:** Already, the hon. Minister in charge has clarified the position.

**Shri Parashar:** My objection is that clause (e) pre-supposes the existence of clause (e) in the parent Act, which is sought to be substituted now. Since it does not exist in the original Act, it cannot be proceeded with. That is my point of order. The Bill has not been properly circulated.

**Mr. Chairman:** I will put clause 3 separately first.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** My objection is to the inclusion of clause 3. As the Bill stands at present, clause 3 cannot be put to the vote, because it is anomalous.

**Mr. Chairman:** If the hon. Member is not satisfied with the explanation, he has the freedom to vote against it.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** There is no explanation.

**Mr. Chairman:** The Minister has given the explanation on the point.

**Shri S. S. More:** This confusion may be probably due to the wrong printing of the copy. They have got up to sub-clause (c). Why do they want another sub-clause? I think the objection is very valid.

**Mr. Chairman:** Will the Minister kindly clarify?

**Shri B. R. Bhagat:** The clause referred to is a different clause.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** I feel that the clauses of the Bill as have been drafted are defective. I move:

"That further discussion on the Bill be adjourned."

**Shri Parashar:** I support the motion.

**Mr. Chairman:** The motion has been made. It is supported by another hon. Member.

15:55 hrs.

[MR. SPEAKER in the Chair]

**Shri B. R. Bhagat:** I oppose this motion for adjournment of further discussion. But as the clock is striking 4 and the other business is to be taken up, I withdraw my opposition. This motion need not be pressed.

**Mr. Speaker:** The question is:

"That further discussion on the Bill be adjourned."

*The Lok Sabha divided.*

**Division No. 1**

Aney, Dr. M. S.  
Anjanappa, Shri  
Azad, Shri Bhagwat Jha  
Balmiki, Shri  
Bheel, Shri P. H.  
Boroosh, Shri P. G.  
Grij Raj Singh—Kotah, Shri  
Chatterjee, Shri N. C.  
Chaudhuri, Shri Tridib Kumar  
Deo, Shri P. K.  
Dharamalingam, Shri  
Dixit, Shri G. N.  
Elias, Shri Mohammad  
Gajraj Singh Rao, Shri  
Ganga Devi, Shrimati  
Gounder, Shri Muthu  
Bulshan, Shri  
Harvani, Shri Anwar  
Himmatsinhji, Shri  
Jena, Shri  
Karkhaviya, Shri Hukam Chand  
Kandappa, Shri S.

Achuthan, Shri  
Alva, Shri A. S.  
Arunachalam, Shri  
Bal Krishna Singh, Shri  
Barkataki, Shrimati Renuka  
Barman, Shri P. C.  
Barrow, Shri  
Ebakt Darshan, Shri  
Bhattacharyya, Shri C. K.  
Chanda, Shrimati Jyotana  
Chandak, Shri  
Chandrabhan Singh, Dr.  
Chaudhry, Shri Chandramani Lal  
Chavda, Shrimati Johrabhai  
Das, Shri B. K.  
Dasa, Shri C.  
Deshmukh, Shri B. D.  
Erring, Shri D.  
Ghosh, Shri Atulya  
Jadhav, Shri M. L.  
Jadhav, Shri Tulashidas  
Jain, Shri A. P.  
Jamir, Shri S. G.  
Jayaraman, Shri  
Jyotishi, Shri J. P.  
Kamble, Shri  
Karuthiruman, Shri  
Kedaria, Shri C. M.  
Keshing, Shri Rishang  
Khadilkar, Shri  
Khan, Shri Osman Ali  
Khan Veer, Shri  
Kotaki, Shri Likadhar  
Krishna, Shri M. R.  
Krishnaswami, Shri T. T.  
Lahten Chaudhry, Shri  
Lakshminathan, Shrimati

**AYES**

Kapur Singh, Shri  
Kinder Lal, Shri  
Koujalgi, Shri H. V.  
Krishnapal Singh, Shri  
Malaviya, Shri K. D.  
Manoharan, Shri  
Masani, Shri M. R.  
Masuriya Din, Shri  
Mathur, Shri Shiv Charan  
Maurya, Shri  
More, Shri S. S.  
Nesamony, Shri  
Pandey, Shri Sarjoo  
Pandey, Shri Vishwa Nath  
Panna Lal, Shri  
Patil, Shri D. S.  
Patil, Shri S. B. ..  
Pratap Singh, Shri  
Raj, Shrimati Sahodra Bai  
Rajaram, Shri  
Rajdeo Singh, Shri

Laxmi Bai, Shrimati  
Mahadeo Prasad, Shri  
Mallick, Shri Rama Chandra  
Mandal, Shri J.  
Matcharaju, Shri  
Mehrotra, Shri Brij Bihari  
Mengi, Shri Gopal Datt  
Mirza, Shri Baka  
Mishra, Shri Bibhuti  
Mohanty, Shri Gokulananda  
More, Shri K. L.  
Munshi, Shri David  
Naidu, Shri V. G.  
Naik, Shri Maheswar  
Nanda, Shri  
Niranjan Lal, Shri  
Oza, Shri  
Paramasivan, Shri  
Patel, Shri Chhotubhai  
Patel, Shri Man Singh P.  
Patel, Shri Rajeshwar  
Patil, Shri J. S.  
Patil, Shri M. B.  
Patil, Shri S. K.  
Patil, Shri T. A.  
Patnaik, Shri B. C.  
Pattabhi Raman, Shri C. R.  
Raghuramiah, Shri  
Raju, Shri D. B.  
Raju, R. D. S.  
Ram, Shri T.  
Ram Swarup, Shri  
Ramakrishnan, Shri P. R.  
Ramaswamy, Shri V. K.  
Ramdhani Das, Shri  
Rane, Shri

Ramabadrin, Shri  
Rameshwaranand, Shri  
Reddi, Shri R. N.  
Reddy, Shri Narasimha  
Roy, Shri Bishwanath  
Seha, Dr. S. K.  
Saigal, Shri A. S.  
Shinkre, Shri  
Shivananjappa, Shri  
Shyam Kumari Devi, Shrim  
Siddiah, Shri  
Sivasankaran, Shri  
Solanki, Shri  
Sonavane, Shri  
Subramanyam, Shri T.  
Tahir, Shri Mohammad  
Tiwary, Shri D. N.  
Tiwary, Shri R. S.  
Trivedi, Shri U. M.  
Verma, Shri S. L.  
Vyas, Shri Radhela

Rao, Shri Krishnamoorthy  
Rao, Shri Muthyal  
Rao, Shri Thirumala  
Ray, Shrimati Renuka  
Reddi, Dr. B. Gopala  
Reddiar, Shri  
Sahu, Shri Rameshwar  
Samanta, Shri S. C.  
Sannani, Shri  
Sarma, Shri A. T.  
Satyabhama Devi, Shrimati  
Shah, Shri Manabendra  
Sharma, Shri A. P.  
Sharma, Shri D. C.  
Shashi Ranjan, Shri  
Shastri, Shri Ramanand  
Shree Narayan Das, Shri  
Shukla, Shri Vidya Chagan  
Siddananjappa, Shri  
Singhvi, Dr. L. M.  
Sinha, Shri Satya Narayan  
Sivapraghasan Shri Ku.  
Srinivasan, Dr. P.  
Subbaraman, Shri  
Subramaniam, Shri C.  
Sumat Prasad, Shri  
Thengondar, Shri  
Thomas, Shri A. M.  
Tiwary, Shri K. N.  
Tripathi, Shri Krishna Deo  
Tula Ram, Shri  
Ukey, Shri  
Upadhyaya, Shri Shiva Datt  
Valuya, Shri M. B.  
Veerappa, Shri  
Virbhadr Singh, Shri

**NOES**

Mr. Speaker: The result of the division is: Ayes 64; Noes. 109.

*The motion was negatived.*

15.59½ hrs.

## BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

### THIRTY-FOURTH REPORT

Sari Rane (Buldana): I beg to present the Thirty-fourth Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: I shall take up the adjournment motion now.

Shri B. R. Bhagat: The discussion on the Bill should continue, because the motion for adjourning the discussion on the Bill has been lost.

Mr. Speaker: The discussion on the Bill will continue tomorrow.

16 hrs.

## MOTION FOR ADJOURNMENT

### FAILURE OF GOVERNMENT IN HANDLING LANGUAGE ISSUE

Mr. Speaker: I shall fix the time-limit, because there would be a large number of Members desiring to speak. I propose that the mover may take 15 minutes and the others 10 minutes each.

Sari M. N. Mukerjee (Calcutta Central): Mr. Speaker, Sir, I beg to move:

"That the House do now adjourn". I do so, because, I wish to draw pointed attention to the recent tragic events in the south, which have cast their shadow on the country and on the deliberations of this House. A short while ago, the elements conspired to create stark horror in Rameshwaram, but it was Government's folly and arrogance and its lack of

capacity for intelligently anticipating and sympathetically responding to public feeling which provoked fury in Tamil Nad, usually so sedate and sober, over the issue of language on Republic Day and subsequently. My intention is to censure Government for its utter failure to tackle the tragedy in Tamil Nad and its repercussions elsewhere, as in West Bengal.

We are not unready to welcome and cooperate with whatever honest efforts Government might make to solve the crisis. Meanwhile, however, the mind of the country must be made known and the heart of our people must speak, as it can only do in Parliament.

The death roll in Tamil Nad, as I learn, is 78 including 4 policemen and 5 who burnt themselves to death as a protest against the imposition of Hindi, like the Buddhist monks of South Viet-Nam. It is true that certain kinds of incendiary leadership, whom I shall not name, were flourishing in Tamil Nad and the frustration and irritation over Government's failures on food and every other front have accumulated. But when men come forward and publicly burn themselves to death for their own mother-tongue, when thousands stand by in admiration and sorrow and then some of them in sudden anger think nothing of such ugly things as burning policemen also to death; such events cannot be treated lightly and brushed aside. Emotion of that sort can burn solid thrones, let alone the rickety structures of vainglory that prop up the Government. The city of Delhi is the historic grave of vainglory and Government must beware.

This warning is needed, because among other things the ruling party in this country has always failed to understand the complications of the language question in India. They list some 14 languages in the schedule to the Constitution and call the Republic a Union of States. But they do not